ड्राफ्ट रिपोर्ट

प्रदेश में
सर्राफा व्यवसाय
की समस्याये एवं सम्भावनाये

दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग
योजना भवन, 9–सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
http://planning.up.nic.in email: dirppd@nic.in

लेखकगण

1. डा0 आनंद मिश्र, निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ
2. रश्मि उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग

प्राक्कथन

सुरेश चन्द्रा, आई.ए.एस
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

रत्न और आभूषण प्रदेश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह व्यवसाय बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ–साथ निर्यात के भी अवसर भी प्रदान करता हैं। प्रदेश में चांदी एवं सोने के आभूषण का उत्पादन क्रमशः लगभग 40–45 मीट्रिक टन एवं 275–300 किलोग्राम प्रति दिन का है। प्रदेश इस व्यवसाय में लगभग 6–7 लाख कारीगर कार्यरत है। आभूषण के खुदरे बाजार/पारंपरिक व्यवसाय में डिजाइन, गुणवत्ता और सामग्री एक विशेष चुनौती के रूप में आ रही है प्रदेश में इनके संगठनों द्वारा व्यवसाय को उद्योग का दर्जा, ज्वेल पार्क की स्थापना एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु प्रायः मांग की जाती रही है। भारत में थोक व्यापार की अनुकूल नीतियां हैं, लेकिन प्रदेश में अभी पारंपरिक व्यवसाय लिए नीति बनाना आवश्यक है।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में आर्थिक सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में नियोजन विभाग के अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सर्राफा व्यवसाय से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण एवं ज्वेल पार्क स्थापना हेतु प्रदेश के सर्राफा व्यवसाय से सम्बंधित सबसे महत्वपूर्ण 10 जनपदों में सर्वे आधारित अध्ययन तैयार कराया गया है।

मैं निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, श्री विवेक एवं दीर्घकालीन योजना प्रभाग के निदेशक डा0 आनन्द मिश्रा तथा उनकी टीम को प्रदेश के 10 जनपदों में सर्वे कराकर यह सारगर्भित अध्ययन तैयार करने हेतु धन्यवाद देता हूँ।

मुझे विश्वास है कि यह अध्ययन सर्राफा के व्यवसाय की समक्ष एवं व्यवसाय की समस्याओं के निराकण हेतु नीति–निर्माताओ, योजनाकारों, प्रशासको एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, विभाग के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

(सुरेश चन्द्रा)

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
सर्राफा व्यवसाय – सामान्य परिचय	4–11
उत्तर प्रदेश में सर्राफा व्यवसाय की स्थिति	12–14
सी0एफ0सी0(Common Facility Centre)	15–15
हॉल मार्किंग (Hall Marking)	15–16
प्रदेश में ज्वेलरी एवं जेम्स पार्क की अवधारणा	17–18
जनपदों का संक्षिप्त परिचय	19–39
अनुसन्धान विधि	40
सर्राफा व्यवसाय की प्रमुख समस्याएं	40–41
कारीगरों की समस्याएं	41–42
सरकार से अपेक्षाएं	42–44
अध्ययन/सर्वेक्षण के मुख्य निश्कर्श	45–48
Schedule	49–50

सर्राफा व्यवसाय–सामान्य परिचय

इतिहास

आभूषणों का इतिहास प्राचीन है, विभिन्न संस्कृतियों के बीच इसके कई अलग–अलग उपयोग हैं। यह हजारों वर्षों से स्थायी है और इनका इतिहास विभिन्न संस्कृतियों के संस्कृति के अध्ययन में अत्यंत सहायक है।सबसे पहले ज्ञात आभूषण वास्तव में यूरोप रहने वाले निएंडरथल द्वारा बनाए गए थे। विशेष रूप से, छोटे समुद्र के गोले से बने छिद्रित मोतियों को स्पेन के दक्षिण–पूर्वी तट की एक गुफा, क्यूवे डी लॉस एवियोनेस में पाया गया और इसकी कार्बन डेटिंग 115000 साल है। कालांतर में केन्या में एनकापून हां मुत्तो में, 40000 साल से अधिक पुराने छिद्रित शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से बने बीड्स को एवं रूस में, एक पत्थर के कंगन और संगमरमर की अंगूठी को एक समान उम्र में डेट किया गया।

यूरोपीय प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों के गले में हड्डी, दांत, जामुन और पत्थर के कड़े हार और कंगन प्राप्त होते है। लगभग 11000 ईसा पूर्व में एक सजाया हुआ उत्कीर्ण लटकन (स्टार कैर पेंडेंट) ब्रिटेन में सबसे पुरानी मेसोलिथिक कला माना जाता है, जो 2015 में उत्तरी यॉर्कशायर के स्टार कैर की साइट पर पाया गया था। दक्षिणी रूस में, विशाल टस्क से बने नक्काशीदार कंगन पाए गए हैं। होले फेल्स के वीनस में शीर्ष पर एक वेध है, जिसमें दिखाया गया है कि यह एक लटकन के रूप में पहना जाता था।

लगभग सात–हजार साल पहले, तांबे के आभूषण का पहला चिन्ह देखा गया है। अक्टूबर 2012 में लोअर ऑस्ट्रिया में प्राचीन इतिहास के संग्रहालय द्वारा प्रकाश डाला गया कि उन्हें एक महिला आभूषण कार्यकर्ता की कब्र मिली है– एक महिला धातु कार्यकर्ता इस काल में प्राप्त होने के पश्चात पुरातत्वविदों को प्रागैतिहासिक काल में महिलाओ की अर्थब्यवस्था में भूमिकाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए बाध्य किया है।

भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति

भारतीय उपमहाद्वीप का एक लंबा आभूषण इतिहास है, जो सांस्कृतिक और राजनीति के प्रभाव से 5000-8000 से अधिक वर्षों के विभिन्न परिवर्तनों से गुजरा है। क्योंकि भारत के पास कीमती धातुओं और रत्नों की प्रचुर आपूर्ति थी, इसलिए यह अन्य देशों के साथ निर्यात और विनिमय के माध्यम से यह आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध हुआ। भारत ने लगभग 5000 वर्षों तक आभूषण कला रूपों का निरंतर विकास प्राप्त किया है। भारत में आभूषण के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते है। 2100 ईसा पूर्व से पहले, जब धातुओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना प्रारम्भ किया तो सिंधु घाटी क्षेत्र में सबसे बड़े आभूषण का व्यापार मनका था। 1500 ईसा पूर्व तक, सिंधु घाटी के लोग सोने की बालियां और हार, मनके हार और धातु की चूड़ियां निर्मित करने लगे थे। सिंधु घाटी में बीड्स को सरल तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया था।

सबसे पहले, एक मनका निर्माता को एक मोटे पत्थर की आवश्यकता होती थी । पत्थर को एक गर्म ओवन में रखकर इसे तब तक गर्म किया जाता था जब तक कि यह गहरे लाल रंग का न हो जाए, इसके बाद लाल पत्थर को सही आकार में छेद किया जाता था और मोतियों को

पॉलिश भी किया जाता था। कुछ मोतियों को भी डिजाइन के साथ चित्रित भी किया गया था। मनका निर्माताओं के बच्चे अक्सर कम उम्र से ही मोतियों का काम सीख जाते थे। इस कला को अक्सर परिवार के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सरंक्षित किया गया । सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा पहने जाते थे, जो अपनी कलाई पर मिट्टी से निर्मित या खोल कंगन पहनते थे। वे अक्सर डोनट्स के आकार में काले रंग के होते थे, हालाँकि सिंधु घाटी में महिलाओं द्वारा सबसे अधिक आभूषण पहने थे, लेकिन कुछ पुरुषों ने मोतियों की माला भी पहनी थी। छोटे मोतियों को अक्सर पुरुषों और महिलाओं के बालों में लगाया जाता था। मोती लगभग एक मिलीमीटर लंबे थे। कालांतर में अधिक टिकाऊपन के लिए मिट्टी की चूड़ियाँ का निर्माण बंद कर दिया गया, वर्तमान भारत में चूड़ियाँ धातु या कांच से बनी होती हैं।

हिंदू मान्यता के अनुसार, सोना और चांदी को पवित्र धातु माना जाता है। सोना गर्म सूर्य का प्रतीक है, जबकि चांदी शांत चंद्रमा का प्रभाव देती है। दोनों भारतीय आभूषणों की सर्वोत्कृष्ट धातु हैं। शुद्ध सोना समय के साथ ऑक्सीडाइज या कोरोड नहीं करता है, यही वजह है कि हिंदू परंपरा सोने को अमरता के साथ जोड़ती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में सोने की कल्पना अक्सर होती है। ब्रह्मांड रचना के वैदिक हिंदू विश्वास में, भौतिक और आध्यात्मिक मानव जीवन का स्रोत एक स्वर्ण गर्भ (हिरण्यगर्भ) से उत्पन्न हुआ, जो सूर्य का एक रूपक है।

भारत के राजघरानो ने आभूषणओ को शक्तिशाली प्रतिष्ठा प्रदान की थी उन्होंने इसके लिए कानूनों की स्थापना की जिसमे सभी को इसको धारण करने की अनुमति नही प्राप्त थी कुछ अन्य जिन्हें उन्होंने अनुमति दी गयी, वे अपने पैरों पर सोने के गहने पहन सकते थे। कालांतर में भले ही अधिकांश भारतीय आबादी ने आभूषण पहने हों, लेकिन महाराजा और राजघराने से संबंधित लोगों का गहनों से संबंध और प्रतिष्ठा सामान्य जनमानस से अधिक थी।

नवरत्न (नौ रत्न) महाराजा (सम्राट) द्वारा पहना जाने वाला एक शक्तिशाली आभूषण था। यह एक ताबीज थी, जिसमें हीरा, मोती, माणिक, नीलम, पन्ना, पुखराज, बिल्ली की आंख, मूंगा और जलकुंभी (लाल जिक्रोन) शामिल थे। इनमें से प्रत्येक पत्थर एक खगोलीय देवता के साथ जुड़ा हुआ था, सभी नौ रत्न एक साथ हिंदू ब्रह्मांड की समग्रता का प्रतिनिधित्व करते थे । हीरा नौ पत्थरों के बीच सबसे शक्तिशाली रत्न था। रत्न के लिए विभिन्न कट थे। महाराजा और अन्य शाही परिवार के सदस्य मणि को हिंदू भगवान मानते थे। शाही परिवार के सदस्य और अन्य अंतरंग सहयोगी ,बहुत करीबी के साथ रत्नों का आदान–प्रदान भी करते थे।

मुगल बादशाहों और राजाओं ने हीरे का इस्तेमाल अपने नाम और दुनियावी उपाधियों के द्वारा अपनी अमरता को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में किया। इसके अलावा, यह भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भारतीय इतिहास में, हीरे का उपयोग सैन्य उपकरण इत्यादि कार्यो के लिए किया जाता था। राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से कमजोर रहने वाले शासकों को बड़े ऋणों के वित्तपोषण के लिए हीरो का उपयोग सुरक्षा के रूप में भी किया गया था ।

विजय के उपरान्त सैन्य नायकों को हीरे के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था और उन्हें कारावास या अपहरण से रिहाई के लिए फिरौती के भुगतान के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। आज, हीरे का उपयोग कई आभूषण डिजाइन और परंपराओं में उपयोग किया जाता है, और भारतीय समारोहों और शादियों में यह आभूषण आम है। इस सन्दर्भ में भारतीय नारी की आभूषण–प्रियता विश्व प्रसिद्ध है।

मुगल कालीन आभूषण

मुगल कालीन आभूषण मुख्यतया माथे के आभूषण मे सीसफूल, सिर का आभूषण टीका या माँगटी का झूमर और बिन्दी थे। माथे पर बिन्दी लगाने का आम रिवाज था और बिन्दी में मोती जड़े होते थे। गले के आभूषण हार, चन्द्रहार, माला, मोहनमाला, माणिक्य माला, चम्पाकली, हँसली, दुलारी, तिलारी, चौसर, पँचलरा और सतलरा इत्यादि थे। दुलारी दो लड़ों, तिलारी तीन लड़ों, चौसर चार लड़ों, पँचलरा पाँच लड़ों और सतलरा सात लड़ों का आभूषण था। कमर का आभूषण तगड़ी या करधनी था। इसमें घुँघरू लगे होते थे जो चलते समय बजते थे। अँगूठी या मूँदरी अँगूली का आभूषण था जिसका बड़ा प्रचलन था। आरसी अँगूठे का आभूषण था, इसमें एक दर्पण लगा होता था। जिसमें चेहरा देखा जा सकता था। पौंची, कंगन, कड़ा, चूड़ी और दस्तबन्द कलाई के आभूषण थे। भुजा के आभूँषण बाजूबन्द या भुजबन्द थे। बाजुबन्द का संस्कृत नाम भुजबन्द था। पैरों के आभूषण पाजेब, कड़ा थे। पैरों की अँगुलियों में बिछुए भी पहने जाते थे। पैरों के आभूषण आमतौर पर चाँदी के बने होते थे, जबकि दूसरे आभूषण सोने के बनते थे। गरीब जनमानस सामन्यता चाँदी के आभूषण पहनते थे।

इस काल में बहुमुल्य रत्नों का विदेशों से आयात भी होता था तथा दक्षिण भारत की खानों से हीरे भी निकाले जाते थे। टेवरनियर हीरों का एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो दक्षिण भारत में हीरों की एक खान का वर्णन करते हुए लिखता है कि इसमें हजारों की संख्या में मजदूर काम करते थे। भूमि के एक बड़े प्लाट को खोदा जाता था। पुरुष इसे खोदते थे, स्त्रियाँ और बच्चे उस मिट्टी को एक स्थान पर ले जाते थे जो चारों ओर दीवारों से घिरा होता था। मिट्टी के घड़ों में पानी लाकर उस मिट्टी को धोया जाता था। ऊपरी मिट्टी दीवार में छेदों के द्वारा बहा दी जाती थी और रेत बची रहती थी। इस प्रकार जो तत्त्व बचता था, उसे लकड़ी डण्डों से पीटा जाता था और अंत में हाथ से हीरे चुन लिये जाते थे। परन्तु खदान में कार्यरत मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी। टेवरनियर के अनुसार मजदूरी 3 पेगोडा वार्षिक थी। हीरे चोरी न हो जायें, इसके लिए 50 मजदूरों पर निगरानी रखने के लिए 12 से 14 तक चौकीदार होते थे। टेवरनियर एक घटना का वर्णन करता है जबकि एक मजदूर ने एक हीरे को अपनी आँखों के पलक के नीचे छुपा लिया था।

सर्राफा व्यवसाय का समाज पर प्रभाव

आभूषण का उपयोग आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को निरूपित करने के लिए किया गया है। प्राचीन रोम में, केवल कुछ रंक ही अंगूठियां पहन सकते थे, कालांतर में यह भी कानूनों ने तय किया कि कौन से प्रकार के आभूषण कौन पहन सकता है। यह भी उस समय के नागरिकों के रैंक पर आधारित था। पश्चिमी देशो में पुरुषों द्वारा झुमके पहनने की प्रथा 19 वीं शताब्दी और 20 वीं सदी की शुरुआत में प्रचलित हुई। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में आभूषण उद्योग ने पुरुषों के लिए शादी के छल्ले एवं पुरुषों के लिए सगाई की अंगूठी को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। 1940 के मध्य तक, अमेरिका में 85% शादियों में डबल–रिंग समारोह किया जाता था, जो 1920 के दशक में मात्र 15% था। आधुनिक पश्चात संस्कृति में, शरीर के आभूषणों का प्रदर्शन, जैसे कि पियर्सिंग, सामाजिक स्वीकृति की एक पहचान बन गई है समाज के के भीतर इसको आधुनिक समाज में साहस के रूप में देखा जाता है। इसी तरह, हिप–हॉप संस्कृति ने स्लैंग शब्द ब्लिंग–ब्लिंग को भी लोकप्रिय बनाया है, जो पुरुषों या महिलाओं द्वारा आभूषण के दिखावटी प्रदर्शन को संदर्भित करता है।

आभूषण बनाने में मुख्यतः उपयोग होने वाले औजार

हस्तनिर्मित फैशन ज्वैलरी के निर्माण अथवा नए शिल्प को सीखने में सबसे मुश्किल यह होती है कि इसकी शुरूआत में किन–किन वस्तुओ की आवश्यकता है। आभूषण बनाने के उपकरणों की सूची अत्यधिक लंबी है। शुरुआत में हस्तनिर्मित फैशन ज्वैलरी के निर्माण में अच्छी धातु के उपकरणों में निवेश से शिल्प कला को बेहतर बनाया जा सकता है। पारंपरिक आभूषण निर्माण में निम्न उपकरणों का प्रयोग सामान्यता किया जाता हैं।

फ्लैट नोज प्लायर

यह टूल बंद रिंग को खोलने, तारों के सिरों को गोल करके बंद करने में मदद करती है। फ्लैट–नोज प्लायर्स में दो फ्लैट जॉ होते हैं, जो धातु के टुकड़े पर मजबूत पकड़ बनाने में मदद करते हैं और आवश्यक्तानुसार कोणीय (एंगुलर) मोड़ देते हैं।

राउंड नोज प्लायर्स

राउंड नोज प्लायर्स में दो गोल जॉ होते हैं और यह एक जीवंत आभूषण बनाने का उपकरण है। यह तारों को मोड़ने और गांठ बनाने के लिए बेहतरीन है। इससे तार से छल्ला, गांठ, कड़ियां और सूक्ष्म स्मूथ कर्व में जंप रिंग्स बनाने में सुविधा होती है।

पैरेलल प्लायर्स

पैरेलल प्लायर्स में एक बॉक्स जुड़ा हुआ दिखता है जिसमें प्लायर्स के जबड़े एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। इसका उपयोग दबाव बनाते हुए शीट को सीधा करने या धातु को पकड़ने में किया जाता है। ये प्लायर्स धातु को एक स्थान पर मजबूती से पकड़े रखते हैं।

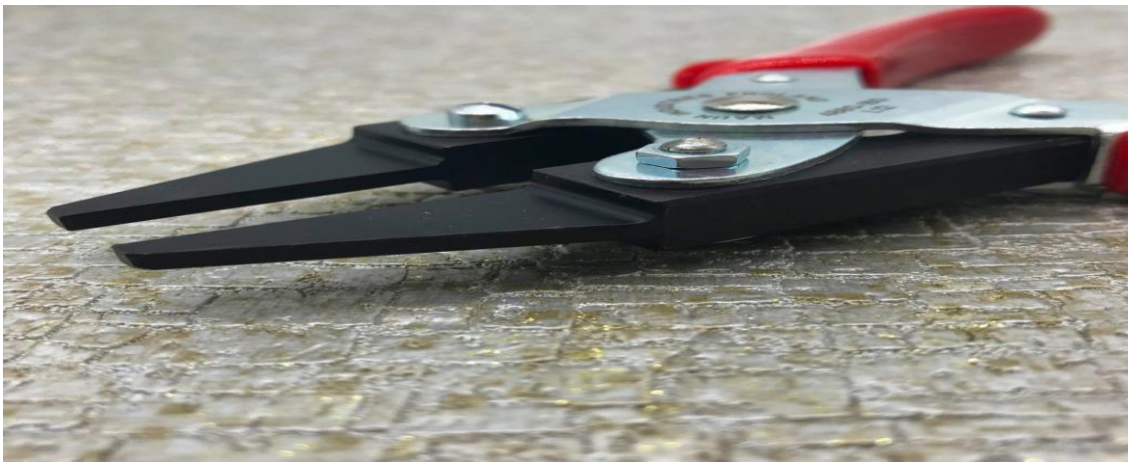

जॉबिंग हैमर

इसे बॉल–पेन हैमर के रूप में भी जाना जाता है, जॉबिंग हैमर में एक गोल और एक चपटा सिरा होता है। गोल सिरे को एक उत्कृष्ट संरचनात्मक उपकरण के लिए तैयार किया जाता है, जबकि चपटे सिरे को नगों में घुमाव देने के लिए डोमिंग उपकरणों के साथ प्रयोग किया जाता है।

साइड कटर

साइड कटर एक तेज धार वाली साफ और सुडौल–कटिंग के लिए जरूरी प्लायर्स है। यह धातु के तार को काटने का एक अच्छा उपकरण है। यह अलग–अलग सामान की सुडौल कटिंग के लिए विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं।

बेंच वाइस(बांक)

जब कारीगर धातु पर काम कर रहे होते हैं तो ताकत और मजबूत पकड़ की जरूरत होती है। आभूषण के व्यवसाय के प्रारम्भ में लिए बेंच वाइस की मदद से मेटल वर्क में खरापन और सुधार लाने के लिए एक अच्छा निवेश होता है। जब कड़ियों को जोड़ना होता है, तो बेंच वाइस

टूल मजबूत पकड़ बनाने में मदद करता है जो मेटल वर्क में खरोंच लगने के जोखिम को कम करता है।

उक्त के अतिरिक्त सुनारों द्वारा निम्नलिखित प्रकार के औजारों का भी प्रयोग किया जाता है–घडिया(ऐंविल), मिटटी की कटोरी, तार बनाने की मशीन (प्रेस मशीन), डाईया (2 एम.एम. से 15 एम.एम. तक), लोहे की निहाई, विभिन्न प्रकार के हथौडे, कासला, रिंग राड(छोटी/बडी), विभिन्न प्रकार की चिमटियां, विभिन्न प्रकार की रेतियां, बादिया(पॉलिश करने के लिये),लकडी एवं लोहे रिंग राड, विभिन्न प्रकार की कैंचियांध्कतिया, प्लास, होल करने की प्लास, मटन, चेन कटर, विभिन्न प्रकार की डिजाईन डाई, जश्यां(वायर मेकिंग डाई), विभिन्न प्रकार की सलाई(कडियां बनाने के लिये), पिन व्यास, संधान, विभिन्न प्रकार की छेनी, टुक्कना, हैण्ड ड्रिल मशीन, विभिन्न प्रकार के ड्रिल सेट, छल्ला बनाने की मशीन, बायर काटन(जो जलता नहीं है), जैन पेपर, रिंग साइजर (01से36 नं0 तक), बैंगल साइज (01 से 15 नं0 तक), आरी, आई प्रोटेक्ट ग्लास, जोडने वाली गन(फूकनी),दिया/ सिलेन्डर तथा इलेक्ट्रानिक कांटा(तराजू)आदि।

व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाली सामग्री

आभूषण बनाने में रत्न, सिक्के, या अन्य कीमती वस्तुओं का उपयोग प्रायः किया जाता है, और वे आमतौर पर कीमती धातुओं के सेट होते हैं। प्लेटिनम मिश्र 900 (90% शुद्ध) से लेकर 950 (95-0% शुद्ध) तक होती हैं। आभूषणों में प्रयुक्त चाँदी आमतौर पर चाँदी की स्टर्लिंग होती है या 92.5% महीन चाँदी होती है। कॉस्टयूम ज्वैलरी में, स्टेनलेस स्टील के भी निष्कर्ष कभी–कभी उपयोग किए जाते हैं। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों में ग्लास एवं तामचीनी लकड़ी शामिल हैं, जैसे कि फ्यूज्ड–ग्लास इत्यादि। गोले और अन्य प्राकृतिक पशु पदार्थ जैसे हड्डी और हाथी दांत, प्राकृतिक मिट्टी बहुलक, सुतली और अन्य सामग्रियों का उपयोग आभूषणों को बनाने के लिए किया गया है इन आभूषणों के निर्माण में परंपरागत अनुभव का अधिक प्रयोग किया जाता है।

बीड्स (मनिया) का इस्तेमाल अक्सर ज्वैलरी में किया जाता है। ये कांच, रत्न, धातु, लकड़ी, गोले, सामान्य मिट्टी व् बहुलक मिट्टी से बने हो सकते हैं। मनके आभूषण में आमतौर पर हार, कंगन, झुमके, बेल्ट और अंगूठियां शामिल हैं। मोती बड़े या छोटे हो सकते हैं। सबसे छोटे प्रकार के मोतियों का उपयोग बीज मोतियों के रूप में किया जाता है, ये मनके आभूषणों की बुने हुए शैली के लिए उपयोग किए जाने वाले मोती हैं। सीड बीड्स का उपयोग कढ़ाई तकनीक में भी किया जाता है। कई अफ्रीकी और स्वदेशी उत्तरी अमेरिकी संस्कृतियों में बीडिंग या बीडवर्क भी बहुत लोकप्रिय है।

सिल्वरस्मिथ, सुनार और लेपिडरीज–फोर्जिंग,कास्टिंग,सोल्डरिंग या वेल्डिंग, कटिंग, नक्काशी और कोल्ड–जॉइनिंग (भागों को इकट्ठा करने के लिए चिपकने वाले, स्टेपल और रिवेट्स का उपयोग करने सहित) का उपयोग करते हैं। उक्त सामाग्री के अतिरिक्त सुनारों द्वारा वर्तमान में निम्न प्रकार की सामग्रियों को भी आभूषण बनाने के कार्य में उपयोग किया जाता है–

जम्पलिंग, स्टड, हुक्स, कुंडल आभूषण, गियर लाक्स, गियर वॉयर, घुंघरू, कनेक्टर(3 और 5 हुक्स में), कुन्दन, डोरी(नेकलेक्स), समोसा होप, गन्थन माला, झुमकी लरी, पिन आई पिन, जमपिंग हैंगिंग, डोरी, इयर रिंग वेस, एन्टीक्यू पाइप इयर रिंग बाल्स, विभिन्न प्रकार के स्टोन्स आदि।

वर्तमान में आभूषण के प्रकार

कंगन, अंगूठी, पायल, कर्णफूल, अंगूठे का छल्ला (बिछिया), कान की बाली, मुकुट, नथ, कंठी, बाजूबंद या करधनी, ताबीज, मांग टीका, चूडियां, कडे, बालों का कांटा, हार, लौंक/नाक की बाली/कील, मंगलसूत्र, लटकन, चेन/जंजीर/कडी, बटन, ब्रोच (साडी की पिन), सोने चांदी के बिस्किट ईट के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित आभूषण का निर्माण किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में सर्राफा व्यवसाय की स्थिति

मानव सभ्यता का इतिहास लिखे जाने के पहले से ही आभूषण के रूप में पक्षियों के पंख, हड्डियों, रंगीन कंकण और पत्थर से बने गहने मानव जाति का हिस्सा रहे हैं। जैसे–जैसे सभ्यता का विकास होता गया, गहनों का रूप रंग भी परिष्कृत होकर सोने चांदी की अंगूठी, पेन्डेन्ट, नेकलेस व कड़े आदि के रूप में हमारे सामने आया। मोनाको की गुफा में हड्डियों से बना एक साधारण हार लगभग 25 हजार वर्ष पूर्व खोजा गया था। पहले पहल यह अंलकरण शिकार से प्राप्त होते थे। जानवरों के दांत, सींग, पंजे और हड्डियों से बने गहने जिन्हें किसी ट्राफी की तरह तो धारण किया ही जाता था, ये अगले शिकार पर जाने के लिए सौभाग्यशाली भी समझे जाते थे। यकीनन इन्हें धारण करने वाला व्यक्ति सम्मान एवं विशेषाधिकार का हकदार होता था।

लगभग 5 हजार वर्षों से भारत के आभूषण देश के सौंदर्य और सांस्कृतिक विकास की अभिव्यक्ति का माध्यम रहे हैं। भारतीय साहित्य में उल्लिखित आभूषणों के संदर्भ, रत्न–विज्ञान पर आधारित ग्रन्थ आदि भारत में भी विश्व के समानान्तर आभूषणों की परम्परा को प्रमाणित करते हैं। पिछले 2 हजार वर्षों से भारत दुनिया में रत्नों का एकमात्र आपूर्तिकर्ता रहा है। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की आलमकारा गैलरी में रखे आभूषणों का व्यापक संग्रह भारतीय इतिहास के कालखण्डों का सजीव वर्णन करता है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सोने और हीरे के व्यापार पर 7.5 प्रतिशत और कुल निर्यात में 14 प्रतिशत का योगदान है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है वैश्विक आभूषण खपत में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान करता है। रत्न और आभूषण क्षेत्र में लगभग 5 मिलियन लोग कार्यरत हैं जिनके वर्ष 2022 तक लगभग 8.5 मिलियन होने की सम्भावना है। भारतीय रिटेल ज्वैलरी सेक्टर में असंगठित ज्वैलर्स ज्यादा है। भारत में अनुमानतः 5 लाख से अधिक सर्राफा व्यवसायी हैं जिनमे से अधिकांश पैतृक व छोटे व्यवसायी है, जिसके कारण डिजाइन एक परम्परागत शैली में ही आगे बढती है। ब्रान्डेड ज्वैलरी बाजार में आने से उपभोक्ता को चयन के अधिक अवसर तो मिलते ही हैं वे ब्रान्डों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा भी पैदा करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा हीरा प्रसंस्करण केन्द्र है, जो विश्व के 95 प्रतिशत हीरे को प्रसंस्कृत करता है। प्रमुख उपभोक्ता, आभूषण निर्माता और रत्न प्रसंस्करण केन्द्र के रूप में दक्षिण भारत की भूमिका ने भारत को वैश्विक आभूषण उद्योग में अत्यन्त मदद की है। हैदराबाद, चेन्नई और कोयम्बटूर इसके प्रमुख केन्द्र हैं।

अन्तराष्ट्रीय बाजार में ब्राण्ड इण्डिया को बढ़ावा देने, निवेश को बढ़ावा देने तथा प्राद्यौगिकी व कौशल को उन्नत करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में स्वतःमार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है जिसमें विदेशी निवेशक या भारतीय कम्पनी को रिर्जव बैंक या भारत सरकार से किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय बाजार में कीमतों को कम करने के लिए सोने चांदी पर आयात शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है।

रत्न और आभूषण किसी भी अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस व्यवसाय में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ–साथ निर्यात के भी अवसर भी होते हैं। भारत में कारीगरों पर निर्भर आभूषण व्यवसाय 5000 वर्षों से अधिक की अटूट विरासत है और एक पारंपरिक कला का काम बना हुआ है। आभूषण बनाना–सुनार भारत में एक वंशानुगत पेशा था, जिसे मुख्य रूप से एक विशेष समुदाय द्वारा विश्वकर्मा समुदाय कहा जाता है। कुछ समय पहले तक केवल हिंदू विश्वकर्मा समुदाय के पारंपरिक स्वर्णकार अपने घर–सह–कार्यशाला में सोने के आभूषण बनाने में लगे थे। आज इस क्षेत्र ने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ/निवेश पर उच्च दर के कारण अन्य उद्योगों के श्रमिकों को आकर्षित किया है। इसके कारण पारंपरिक आभूषण कारीगरों, जिन्होंने आभूषण बनाने की कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अब वे

बेरोजगारी, कम आय और अनिश्चित भविष्य की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। छोटे परिवार की सुनार इकाइयां घट रही हैं। आभूषण के खुदरे बाजार/पारंपरिक व्यवसाय में डिजाइन, गुणवत्ता और सामग्री एक विशेष चुनौती के रूप में आ रही है। प्रदेश में इनके संगठनों द्वारा प्रायः उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। भारत में थोक व्यापार की अनुकूल नीतियां हैं, लेकिन प्रदेश में अभी पारंपरिक ब्यवसाय लिए नीति बनाना आवश्यक है।

जहाँ एक तरफ पिछले एक दशक में ब्रांडेड आभूषणों की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं सर्राफा व्यवसाय में कार्यरत छोटे व्यापारियों के लिए चिंताएं/चुनौतियाँ बढ़ती जा रही है। पूर्व से ही प्रदेश में सोने और चांदी के आभूषण की मांग अत्यधिक रही है। विभिन्न जनपदों में कई व्यापारी अपनी स्वतंत्र दुकान चलाते हैं, जो स्थानीय ग्राहकों को निवेश के विकल्प के साथ–साथ सोने के बदले धन भी उधार देते हैं। आभूषण की बढ़ती मांग के साथ बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाने के लिए इस व्यवसाय में व्यापारियों की समस्याओं को समझना व उसका हल निकालना प्रदेश सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। देश में सोने के सीमित उत्पादन के कारण ये व्यवसाय बहुत अधिक आयात पर निर्भर करता है। व्यापारियों को सोने की अंतरराज्जीय आपूर्ति में बाधा डालने वाले बहुत से नियम अति संवेदनशील होते हैं। इस व्यवसाय में लगे कुशल श्रमिकों की कमी है एवं कम आकर्षण के कारण युवा पीढ़ी इस व्यवसाय में आने से घबराती है। छोटे व्यापारियों की मांग है कि प्रदेश में इस उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा दिया जाए।

घरेलू जौहरी के आभूषणों के निर्माण लागत अधिक होने के कारण पारंपरिक आभूषण महंगे एवं कम आकर्षित होने के कारण मांग में लगातार कमी आ रही है। इस क्षेत्र के विकास के लिए पारंपरिक डिजाइन में नवाचार (Innovation) अति महत्वपूर्ण है। आधुनिक डिजाईन और नवीनतम तकनीको को नवाचार के माध्यम से आम जनता में इनके मांग में वृद्धि की जा सकती है।

प्रदेश स्तर पर पारम्परिक सर्राफा बाजार को उन्नत एवं सफल बनाने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण, श्रमिकों के प्रशिक्षण नवाचार के माध्यम से दिए जाने के साथ–साथ उन्नत कटिंग पॉलिशिंग के प्लांट की आवश्यकता है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नए स्वचालित कम्प्यूटिकृत मशीनों का व्यापक उपयोग कर इन छोटे सराफा व्यापारियों के व्यवसाय को लघु उद्योग में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम संचालित किए जाने की आवश्यकता है। जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार के साथ–साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान/भागीदारी में वृद्धि होगी। इनके व्यवसाय को लघु उद्योग के दर्जे के साथ इनकी यह भी मांग है कि प्रदेश सरकार द्वारा इनके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें ज्यादातर सदस्य इनके व्यवसाय से संबंधित हो। इस लघु उद्योग को कुशल श्रम, बुनियादी ढांचा के साथ साथ आकर्षक बनाये जाने की आवश्यकता है।

आज के बदलते परिवेश में प्रत्येक महिला सौंदर्य के प्रति आकर्षित रहती है एवं वस्तुओं के साथ–साथ आभूषणा/ज्वेलरी पर भी विशेष ध्यान देती है। राष्ट्रीय स्तर पर किसी फिल्म में या किसी विशिष्ट पत्रिका या होर्डिंग में नए डिजाइन पैटर्न प्रदर्शित किए जाते हैं तो ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक महिलाओं में इस विशेष प्रकार के आभूषण मांग में वृद्धि होती है। आधुनिक समय में जहां बड़े–बड़े बेशकीमती,स्टैण्डर्ड शोरूम खुल गए हैं, वही आज भी प्रदेश की आम जनता अभी भी इन सर्राफा बाजार में आधुनिक डिजाइन/शिल्प/गहनों/आभूषणों को खोजती है। आभूषणों कि बढती मांग,शादी विवाह, निवेश व् निर्यात का एक अभूतपूर्व अंग है। जिसमे पारंपरिक कला के साथ हस्तशिल्प कारीगरों द्वारा बनाए गए विशिष्ट आभूषणों की मांग उतनी ही आज भी प्रासंगिक है। पारम्परिक व आधुनिकीकरण में लगातार एक युद्ध सा माहौल बना रहता है। कई क्षेत्र में रत्न–आभूषणों को आधुनिकरण की तुलना में पारंपरिकता को महत्व दिया जाता परन्तु आधुनिकरण वर्तमान युग की अनिवार्यता है जिसमें डिजाइन एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। लेकिन जब हम छोटे कारीगरों के सराहनीय उपकरणों को कुशल मशीनरी और साफ्टवेयर के माध्यम से

पारम्परिक/हस्तशिल्प से प्रतिस्थापन करने की सोचते है तो पारम्परिक कारीगरों के रोजगार पर असर आना प्रासंगिक है।

इस छोटे–छोटे सर्राफा व्यसाय में ज्यादातर श्रमिक निरक्षर/कम पढ़े लिखे है जो आज कि आधुनिकता व् परिवर्तन से बहुत दूर है। इनकी आय में वृद्धि और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए, रत्नों, आभूषणों को चमकाने और डिजाइन के लिए नई तकनीक/नवाचार को शामिल करने पर सरकार एक ठोस रणनीति के माध्यम से कार्य करना होगा। इस व्यवसाय में असंगठित क्षेत्र में लाखों श्रमिक कार्यरत हैं जिन्हें आज के आधुनिक परिवेश का व्यवहारिक ज्ञान व प्रशिक्षण देना न केवल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए है बल्कि बड़े बड़े शोरूम सापेक्ष इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए नवाचार एवं सहयोग आज की मांग है।

इस क्षेत्र में पूंजी निवेश भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। इस व्यवसाय को बचाने में व्यापारियों को पूंजी की आवश्यकताए भी परेशान कर रही है। यहां बैंकों द्वारा उचित ब्याज पर ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है, वही आज के समय में बढ़ती महंगाई के कारण परिवार की परवरिश भी एक समस्या के रूप में सामने आ रही है।

आधुनिक परिवेश में दो प्रकार से सोने के आभूषण निवेश हो रहे हैं–(1) मार्केट आधारित बुलियन पर, (2) पारंपरिक ज्वेलरी/ आभूषण के रूप में है । बुलियन/शेयर मार्केट में बड़े–बड़े लोगों के ट्रेड में निवेश के रूप में आ रहा है, वहीं आभूषण/ ज्वेलरी पारिवारिक समृधि के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार से सरकार गोल्ड डिपाजिट स्कीम चलाती है उसी प्रकार ज्वेलरी व्यवसाय में लगे लोगो के लिए कुछ स्कीमे संचालित करना होगा।इन छोटे व्यवसाय में लगे कारीगरों को आईपीसी की धारा 141 के तहत पुलिस से परेशानी भी उठानी पड़ती है ।

प्रबंधन इंडियन जर्नल ऑफ मनेजेमेंट द्वारा मैंगलोर में गोल्ड ज्वेलरी क्लस्टर का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है जिसमे उल्लेख किया गया है कि डिजाइनिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर के कौशल के साथ मैंगलोर क्षेत्र में लगभग 5000 कारीगर हैं जो एक आला बाजार को पूरा कर सकते हैं जहां उन्हें कॉरपोरेट और बड़े निर्माताओं पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से संभावित बाजार का दोहन करने के लिए अपने अद्वितीय कौशल को लागू करने के लिए इन कारीगरों की सहायता करने से सुनारों के लिए सीधे आर्थिक लाभ हो सकता है और आपूर्ति पक्ष पर उद्यमियों के लिए लाभ होगा, जो कि मैंगलोर में आभूषण कारीगरों पर वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया गया था। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि सुनार निम्न मुख्य तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं –

(1) तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव
(2) विपणन की आधुनिक विधियों का आभाव

प्रदेश में सराफा ब्यवसाय में लगे हुए व्यापारियों की स्थिति के विषय में डा0 आनंद मिश्र, निदेशक दीर्घकालीन योजना प्रभाग उ०प्र०, लखनऊ द्वारा दिनांक– 03 अप्रैल 2021 को श्री विकास सोनी, अध्यक्ष, चौक, प्रयागराज सर्राफा एसोसिएशन से वार्ता हुई। अध्यक्ष प्रयागराज सर्राफा द्वारा अवगत कराया गया कि हॉलमार्क वर्तमान व्यवस्था सर्राफा व्यवसाय लिए एक समस्या पैदा कर रही है, जिसके अंतर्गत सभी सोने चांदी के व्यवसायियों को बिकी के लिए हॉलमार्क का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। इन हॉलमार्क एजेंसियों की ना तो कोई प्रमाणिकता है और नही ही कोई उतरदायित्व है । ज्यादातर हॉलमार्क एजेंसिया कुछ बड़े व्यवसायी से पैसा लेकर उनके अनुसार हालमार्क लगा देती है । खरीदार जब लम्बे समय बाद जब इन हालमार्क आभूषणों को बेचने जाता है और नियमानुसार हालमार्क के आधार पर व्यापारी आभूषण खरीद लेता है व उस आभूषण को जब गलाता है तो उसे हालमार्क के अनुसार सोना नही मिलता है जिसके कारण उसे नुकसान होता है तब ये हालमार्क एजेंसिया नदारद मिलती हैं अतः एजेंसियों पर शिकायत/कार्यवाही किया जाना भी संभव नही होता है । इस समस्या के निदान के लिए सरकार को अपने स्तर से एक हॉलमार्क एजेंसी नियुक्त करना चाहिए जो इस बात की गारंटी ले कि प्रमाणिक एजेंसी द्वारा

हालमार्क लगाने के पश्चात आभूषण को बेचने के बाद किसी व्यापारी को किसी भी समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।

सी0एफ0सी0 (Common Facility Centre)

कई विकसित और विकासशील देशों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर नामक सुविधा आरम्भ की गई है, जो उसी क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर सकती है जहां उद्योगों का एक समूह सबसे अधिक आवश्यक सुविधा प्रदान करता है जैसे कि विपणन केन्द्र, परीक्षण प्रयोगशाला केन्द्र, गुणवत्ता माप केन्द्र आदि। सीमान्त श्रमिकों के उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन को उन्नत करने में मदद करता है। यह उन्हें उद्यमशीलता, प्रतिबद्धता को ईमानदारी से पूरा करने के लिए समय प्रबंधन के साथ–साथ उनकी परिचालन लागत और निवेश को कम करने में मदद कर सकता है।

गत वर्षों में कोलकाता, गुजरात, दिल्ली व राजस्थान में रत्न व आभूषण उद्योग के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है।

हॉल मार्किंग (Hall Marking)

उपभोक्ताओं को गहनों में मिलावट से बचाने और ज्वैलर्स के लिए शुद्वता को बाध्यकारी बनाने के लिए अप्रैल 2000 में सोने के आभूषणों तथा अक्टूबर 2005 में चांदी के आभूषणों की हॉल मार्किंग योजना आरम्भ की गयी थी। योजना के अन्तर्गत ज्वैलरों को हॉलमार्क लगे आभूषण बेचने के लिए पंजीकरण दिया जाता है तथा Assaying and Hallmarking Centre को आभूषणों की शुद्वता की परख के लिए मान्यता दी जाती है। हॉल मार्किंग में आभूषणों, बुलियन, सिक्कों आदि में कीमती धातुओं के अनुपात का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकार्डिंग की जाती है। हॉलमार्क ज्वैलरी में 4 मार्क होते हैं।

1. BIS MARK
2. सोने और चांदी में कैरेट का उल्लेख
3. परख केन्द्र की पहचान/संख्या
4. ज्वैलर का पहचान चिन्ह/संख्या

केन्द्र सरकार ने हॉल मार्किंग युक्त सोना बेचने के लिए Bureau of Indian Standard में 15 जून 2021 तक पंजीयन अनिवार्य कर दिया है अन्यथा की दशा में करोबारी अपने गहने नहीं बेच सकेगें। इसके अतिरिक्त अब सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट की कटैगिरी में ही सोने के गहने बिकेगें। BIS की रिर्पोट के अनुसार 31 मार्च 2020 तक 30626 ज्वैलर्स ने हॉलमार्क ज्वैलरी बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। हॉल मार्किंग के लिए 31-03-2020 तक देश में BIS से मान्यता प्राप्त कुल 915 Assaying and Hallmarking Centre संचालित थे।

उत्तर प्रदेश में रत्न व आभूषण उद्योग संगठित से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में फैला है जिसमें विकास और मूल्यवर्धन की काफी क्षमता है। उद्योग में सुधार, मानकीकरण और पारदार्शिता को बढ़ावा देने के लिए इस पर फोकस किया जाना अति आवश्यक है। अधिक आबादी वाला राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश रत्न व आभूषण उद्योग के क्षेत्र में विनिर्माण की अपेक्षा उपभोग के स्तर पर अधिक क्रियाशील है। मूलतः कृषि आधारित व्यवस्था होने के कारण यहां सोने को घरेलू निवेश के रूप में प्राथमिकता दी जाती है जो सामाजिक कार्यों यथा–विवाह आदि संस्कार के समय अथवा अचल सम्पत्ति अर्जित करने के काम आता है। प्रदेश में विनिर्माण क्षमता बढ़ने के अनेक सम्भावनाएं मौजूद हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाईयों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारतीय राज्यों में तीसरे स्थान पर है। 1990 में आर्थिक उदारीकरण से पहले केवल प्रमाणिक सुनार और व्यापारी ही आभूषण की खुदरा बिक्री में आसानी से प्रवेश कर पाते थे। 1990 से स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम वापस होने से गैर व्यापारिक सुनार भी इस व्यवसाय में प्रवेश कर रहे हैं जिससे आभूषणों की खुदरा बिक्री तेजी से बढ़ी है। चांदी के क्षेत्र में यहां के व्यवसायी जो अधिकतर अंसगठित है वे

भारत में आयातित चांदी का 40 प्रतिशत उपभोग करते हैं। प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर सर्राफा व्यवसाय के महत्वपूर्ण केन्द्र है।

मेरठ का सर्राफा व्यवसाय लगभग 200 वर्ष पुराना है जो सदैव एशिया की प्रमुख मण्डियों में सम्मिलित रहा है। मेरठ में प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ का करोबार होता है। वर्तमान में मैट्रो रेल, रैपिड रेल तथा हवाई अड्डे के निर्माण से इस व्यवसाय पर सकारात्मक असर पड़ेगा तथा खरीदारी करने के लिए लोग दिल्ली जाने के स्थान पर मेरठ को प्राथमिकता देंगे । ''एक जनपद एक उत्पाद'' योजना के अर्न्तगत मेरठ में स्वर्ण आभूषण व्यवसाय की अपार सम्भावनाएं है।

आगरा में चांदी का व्यवसाय एशिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगरा में चांदी की पायल का निर्यात देश विदेशों में किया जाता है। यह एशिया की पायल निर्माण की सबसे बड़ी मण्डी है। शहर के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चांदी के आभूषण तैयार किये जाते हैं। पायल बनाने का व्यवसाय मुख्यतः महिलाओं के हाथ में है जो चांदी गलाने, चांदी को सांचे में ढाल कर आकार देने व उसकी पालिश करने के साथ–साथ उत्पादों को बेचने का कार्य भी करती हैं और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इस कार्य में अब नये लोग भी तेजी से आगे आ रहे हैं। कभी चांदी की सबसे बडी मण्डी रहे राजकोट का स्थान अब आगरा ने ले लिया है। बन्धेल तार आज भी आगरा में ही बन पाता है। जनपद आगरा में ऑनलाइन व्यवसाय हेतु 03 फर्म कार्यरत हैं 1–ए0सी0पी0एल0 एक्सपोर्ट प्रा0लि0, 2–इण्डि ज्वैलर्स, 3–एस0नेम ज्वैल्स प्रा0लि0। ऑनलाइन व्यवसाय होने से पारदर्शिता बढ़ेगी एवं गुणवत्ता में सुधार आयेगा।

लखनऊ में चौक बाजार के गोल दरवाजे से लेकर भूतनाथ, गोमती नगर तथा आलमबाग तक फैला सर्राफा व्यवसाय अपने हुनर के कारण देशभर में प्रसिद्ध है। लखनऊ की Embossed-jewellery की मांग स्थानीय के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत है। उत्तर प्रदेश की चांदी की पहली रिफाइनिंग 28 फरवरी, 1952 में लखनऊ में ही शुरू हुई थी। उससे पहले रिफाइनिंग का काम कहीं नहीं होता था। बैंक से सोना लेने का प्रदेश का पहला लाइसेंस लखनऊ में लिया गया था।

प्रयागराज में सर्राफा उद्योग शहर की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। प्रयागराज में न सिर्फ ज्वैलरी की बिक्री होती है, बल्कि सोने और चांदी से बने ज्वैलरी की मेकिंग भी यहां बड़ी मात्रा में होती है। जौनपुर, मिर्जापुर, रीवां, सतना, फतेहपुर, खागा, प्रतापगढ़, कौशांबी में प्रयागराज की थोक सर्राफा मंडी से ज्वैलरी सप्लाई होती है। प्रयागराज में खरा सोना कोलकाता और दिल्ली से आता है। इसके बाद यहां पर खरे सोने से ज्वैलरी बनाई जाती है।

वाराणसी में सर्राफा कारोबार परम्परागत व्यवसाय है जहां की थोक मंडी से पूरे पूर्वांचल के साथ–साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में आभूशणों की सप्लाई होती है। हीरों की तराशी में बनारस का पुराना इतिहास रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जैम्स एण्ड ज्वैलरी (आई. आई.जी.जे.) मुम्बई का विस्तारित परिसर वाराणसी में खुलने से स्थानीय व आस पास के राज्यों को उसका लाभ मिलेगा।

प्रदेश में ज्वेलरी एवं जेम्स पार्क की अवधारणा

प्रदेश में ज्वेलरी एवं जेम्स पार्क 5 जनपदों यथा मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी एवं बलिया की स्थापना से लगभग 50000 लोगों का रोजगार उपलब्ध होने की संभावना हैं। यह पार्क प्रदेश में अपने में पहला पार्क होगा जिसमें 1000 करोड़ रूपये के निवेश की संभावना है। यह पार्क MSME के द्वारा स्थापित किया जा सकता है और पार्क में सरकार द्वारा 20–25 एकड़ जमीन बिल्डर को उपलब्ध करायी जा सकती है जिसमें कारीगर एवं व्यवसायियों के लिए सभी डोर्मट्री आदि का भी समुचित प्रबन्ध किया जा सकता है। इस महत्वकाक्षी पार्क के निर्माण से ज्वेलरी एवं जेम्स के क्षेत्र रोजगार के नए आयाम होने के साथ–साथ प्रदेश को ज्वेलरी के क्षेत्र में नयी पहचान प्राप्त होगी। पार्कों के स्थापना से वैश्विक सूरत बैंगलोर कलकत्ता से एक एकीकृत ECOSYSTEM का निर्माण होगा।

प्रदेश में सर्वप्रथम द्वारा राज्य स्तरीय Council का गठन MSME विभाग द्वारा किया जा सकता है तथा विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड Gold Policy को तैयार कर, प्रदेश में इसको प्रभावी रूप से लागू किया किया जा सकता है'। इंटीग्रेटेड Gold Policy के निर्माण से सदियों से प्रचलित ज्वेलरी एवं जेम्स को Make in U.P./Make in India का ब्रांड नाम प्राप्त होगा। जिससे इस सेक्टर के विकास में तेजी वृद्धि संभव हो पाएगी तथा इस क्षेत्र का प्रदेश की जी०डी०पी० में योगदान भी बढ़ेगा।

ज्वेलरी एवं जेम्स के निर्माण में तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस ज्वेलरी एवं जेम्स पार्क की स्थापना से वैश्विक स्तर की तकनीकी का लाभ भी पार्क के व्यसायियो को प्राप्त होगा। ज्वेलरी एवं जेम्स के इस तकनीकी परिवर्तन/नवाचार के माध्यम से व्यसायियो को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा और प्रदेश में ज्वेलरी एवं जेम्स क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार संभव हो पायेगा।

इन पार्कों में प्रदर्शनियों का आयोजन समय–समय पर किया जा सकता है तथा इन प्रदर्शिनियों के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है जिसमें ग्राहक /खरीदार प्रदेश के प्रसिद्ध विभिन्न प्रकार के आभूषण को खरीद सकेंगें। इस प्रदर्शनी में बड़े खुदरा व्यपारी एवं wholesale व्यवसायी एक साथ पार्क में उपलब्ध हो सकेंगे जहाँ पर छोटे–छोटे ग्राहकों के साथ बड़े ग्राहक भी खरीदारी आसानी से कर सकेंगे तथा यह प्रदर्शनी उनके लिए अविस्मरणीय होगी, साथ ही साथ प्रदेश के व्यवसायी को व्यापार का एक नया अवसर उपलब्ध होगा।

वर्तमान परिवेश में भारतीय परम्परागत आभूषण की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक मांग है, पार्क की स्थापना से प्रदेश के पत्म्परागत आभूषण यथा पायल, झुमका, बिछिया इत्यादि आभूषणों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त होगी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यसायियों को प्रदेश में स्थानीय आभूषणों के प्रचार–प्रसार करने में मदद मिलेगी। पार्क की अवस्थापना से प्रदेश की Classic एवं Contemporary Design को वर्तमान में प्रचलित Design के अनुरूप निर्माण करना संभव हो जाएगा तथा सोना, चाँदी, हीरे, जवाहारात की गुणवंतापूर्ण प्रदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्रहकों को उपलब्ध हो सकेगा। व्यवसायिओं में नए नए Design अच्छी सेवा के लिये स्पर्धा बड़ेगी व उत्पाद बिक्री के नए अवसर तथा निर्यात के नए आयाम भी सृजित होंगे।

उत्तर प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल श्री अजय कुमार गर्ग (संयुक्त महामंत्री, उत्तर प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन) लोकेश अग्रवाल(उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन),अरविन्द शर्मा(विधिक सलाहकार उत्तर प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन) एवं एम.एस.एम.ई. विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 21–09–2021 को आयोजित बैठक में आगरा के वर्तमान क्लस्टर की समस्याओ के

निदान हेतु सम्यकविचारोपरांत निर्यण के क्रम में जनपद आगरा में ज्वेल पार्क की स्थापना की अवधारणा निम्नलिखित है–

ज्वेल पार्क का क्षेत्रफल लगभग 20 एकड़ भूमि होगा–
ज्वेल पार्क का परिसार दो भागो में विभक्त होगा–
प्रथम परिसार में–
1– खुदरा विक्रेताओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए शोरूम की सुविधा।

2- कच्चे माल की उपलब्धता हेतु एम.एम.टी.सी., एच.टी.सी, पी.ई.सी. इत्यादि की स्थापना।

3- पार्क में वित्त की उपलब्धता हेतु सिंगल विंडो सिस्टम।

4- लॉजिस्टिक/स्टोरेज एजेंसी की स्थापना।

5- सिल्वर/गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स हेतु कारखानों की स्थापना।

6- निर्यात के प्रोत्साहन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम।

7- ज्वेल कारखानों हेतु कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट।

8- अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए बेहतर सुबिधा युक्त पर्यटक होटल।

9- आभूषण उत्पादों की विविधता के लिए प्रदर्शनी केंद्र।

10-मिनी स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना।
द्वितीय परिसर निम्न सुविधाओं से युक्त होगा–
1- ज्वैलरी क्लस्टर के कारीगरों/श्रमिकों के लिए फ्लैटेड आवासीय सुविधा (प्रति व्यक्ति 3–4 लाख रुपये की प्रस्तावित दर)।
2- कारीगरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र।

3- कारीगरों के बच्चो हेतु स्कूल व कॉलेज तथा हॉस्पिटल की स्थापना।

सर्राफा व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों, कारीगरों की अन्य समस्यायों के निराकरण हेतु आर्थिक सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में प्रदेश के सर्राफा व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण 10 जनपदों यथा आगरा, लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर,वाराणसी,प्रयागराज में नियोजन विभाग के अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा अर्थ एवं संख्याधिकरियो के माध्यम से एक सर्वे आधारित अध्ययन भी किया गया है जिसका विस्तृत विवरण आगे के अध्यायों में सम्मिलित किया गया है।

जनपद – आगरा

सर्राफा व्यवसाय का इतिहास

सर्राफा व्यवसाय का इतिहास सैकडों वर्श पुराना है, लगभग 80 वर्श पुरानी यहॉ की सर्राफा कमेटी है, जिस प्रकार आगरा में आगरा का पेठा, जूता, प्रसिद्व है। इसी प्रकार आगरा की पायल दे ा में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। सरकार को इसको जियोग्रोफिकल आइडेन्टीफिके ान (जी0आई0डी0) आगरा के नाम रजिस्टर्ड करना चाहिए।

आगरा का बन्धेल तार आज भी आगरा में ही बन पाता है। चॉदी के कार्य के लिए भी आगरा प्रसिद्व है। आगरा चैन्स प्रा0लि0 के नाम से दे ा की सर्वाधिक निर्यात वाली कम्पनी आगरा की ही है। यहॉ चॉदी की दे ा की सबसे बड़ी थोक मण्डी भी है। किनारी बाजार में सर्राफा व्यवसाय का कार्य मुगलकालीन समय से होता है।

सर्राफा व्यवसाय की प्रमुख समस्यायं

- जी0एस0टी0 का सरलीकरण किया जाएं।
- जी0एस0टी0 का रिटर्न मासिक, त्रैमासिक एवं वार्शिक लिया जाएं।
- बाजार के अन्दर मूलभूत सुविधाओं का अभाव।
- कारीगरों के लिए प्रि ाक्षण केन्द्र का न होना।
- व्यापार कीमती धातु होने के कारण घने बाजारों में सम्बन्धित विभागों द्वारा एन0ओ0सी0 जारी न किया जाना।
- सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्यायें।
- हॉलमार्क सेन्टर अधिक से अधिक बनाये जाये।

कारीगरों की समस्यायें

- कारीगर को वर्शभर पर्याप्त कार्य न मिलना।
- कारीगर की ई0एस0आई0 एवं प्रोविडेन्ट फण्ड का लाभ न मिलना।
- कारीगर को उचित प्रि ाक्षण का अभाव।
- कारीगरों को चिकित्सा एवं अन्य लाभ का अभाव।
- कोरोना महामारी में कारीगरों से काम छूट जाने के कारण आर्थिक स्थिति बदहाल होना।

सी0एफ0सी0 (कॉमन फेि ालिटी सेन्टर)

जनपद आगरा में पायल का निर्माण वृहद स्तर पर होता है। आगरा की पायल दे ा–विदे ा को निर्यात की जाती है। यह एि ाया की पायल निर्माण के मामले में बड़ी मण्डी है।

कॉमन फेि ालिटी सेन्टर की स्थापना होनी चाहिये। कॉमन फेि ालिटी सेन्टर के अन्तर्गत एक व्यवसायिक हब की स्थापना की जाये। इसमें सभी तरह के सर्राफा व्यवसाय से आभूशण के निर्माण एवं क्रय विक्रय सम्बन्धी समस्त सुविधायें उपलब्ध हो जिससे व्यापारी को कार्य हेतु कहीं अन्यत्र न जाना पड़े। सी0एफ0सी0 के अन्तर्गत गेस्ट रूम की स्थापना, कॉन्फ्रेन्स रूम की स्थापना, मीटिंग हॉल की स्थापना एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से युक्त जैसे– हॉलमार्क सेन्टर, टन्च रिफाइनरी, चॉदी/सोने को भुद्व करने हेतु रिफाइनरी/प्रि ाक्षण केन्द्र एवं कच्चे माल की उपलब्धता हेतु सरकारी एजेन्सी होना चाहिये।

सर्राफा बोर्ड का गठन

सर्राफा बोर्ड का गठन राज्य एवं प्रत्येक जिला स्तर पर होना चाहिये।

हॉलमार्क अनिवार्य करने के सम्बन्ध में

हॉलमार्क सरकार जून 2021 से अनिवार्य किया गया है। हॉलमार्क आभूशण पर 14, 18 एवं 22 कैरट पर होता है। हमारा सुझाव है कि हॉलमार्क मांग एवं आपूर्ति (ग्राहक की मांग) के अनुसार प्रत्येक कैरेट पर होना चाहिये। हॉलमार्क के अन्तर्गत सरकार द्वारा जो यू0आई0डी0 की बाध्यता है को समाप्त कर देना चाहिये, जिससे आभूशण के हॉलमार्क कराने में व्यापारी को सुगमता हो जायेगी। पर्याप्त मात्रा में हॉलमार्क सेन्टर होना अति–आव यक है। हॉलमार्क प्रक्रिया में सरलीकरण की आव यकता है। हॉलमार्क सेन्टर हेतु सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए।

ऑनलाइन व्यवसाय (वर्चुअल मार्कट)

जनपद आगरा में ऑनलाइन व्यवसाय हेतु 03 फर्म पूर्व से ही कार्यरत है। जिसमें 1–ए0सी0पी0एल0 एक्सपोर्ट प्रा0लि0, 2–इण्डि ज्वैलर्स, 3–एस0नेम ज्वैल्स प्रा0लि0। ऑनलाइन व्यवसाय होने से पारदि ाता बढ़गी एवं गुणवत्ता में सुधार आयेगा।

नियमों में ि ाथिलिकरण

- बैंक में सर्राफा व्यवसाय हाई रिस्क व्यापार में सम्मिलित होता है। इसमें ि ाथिलता अपनाते हुये हाई रिस्क हटा कर सामान्य व्यवसाय की श्रेणी में लाना चाहिये।
- जब भी कोई ग्राहक अपनी पुरानी सोने एवं चॉदी के आभूशण बेचने आता है तो उस पर लगने वाली जी0एस0टी0 को समाप्त करना चाहिये।
- सर्राफा व्यवसाय हेतु पुराने बाजारों में प्रदूशण एवं अग्नि ामन विभाग आदि द्वारा एन0ओ0सी0 प्रदान की जानी चाहिए।

जनपद–बलिया

जनपद का संक्षिप्त इतिहास

जनपद बलिया उ0प्र0 के सबसे पूर्वी छोर पर गंगा नदी एवं घाघरा नदी के बीच अवस्थित है बलिया जनपद वैदिक कालीन ऋशियों में वि ोश रूप से भृगु मुनि तथा उनके ि ाश्य दर्दर मुनि की तपो स्थली होने के कारण आज भी इस क्षेत्र को भृगु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है प्रत्येक वर्श कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला ददरी मेला दर्दर मुनि की आस्था से जुड़े होने के कारण ददरी मेला प्रदे ा में बलिया की एक अलग पहचान आज भी सजोये हुए है। जनपद बलिया का भौगोलिक क्षेत्रफल 2981 वर्ग कि0मी0 है जो प्रदे ा के क्षेत्रफल का 1.23 प्रति ात है। जनपद में 6 तहसील तथा 17 विकास खण्ड तथा कुल 2361 राजस्व ग्राम है। जनपद की वर्श 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2339774 है। एक जनपद एक उत्पाद में जनपद बलिया मे बिन्दी का निर्माण होता है। हांलाकि, स्थानीय लोगो के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, गढ़ उत्सव और छठ पूजा आदि।

सर्राफा व्यवसाय का इतिहास

सर्राफा का कारोबार जनपद बलिया में प्राचीन काल से चला आ रहा है। जनपद में 16 साल पूर्व सर्राफा संगठन का स्थापना व्यापारी हित के लिए तथा व्यापारी अपनी समस्याओं पर विचार–विम ार्श करने व अपनी समस्याओं का निराकरण आपस में करते हुए अपनी बात को उच्च स्तर तक पहुँचाने तथा अपनी भविश्य की योजनाओं के बारे में बैठकर विचार–विम ार्श कर सकने के लिए किया गया। जनपद में सर्राफा व्यवसाय नगर बलिया चौके क्षेत्र में फैला हुआ है। जनपद बलिया में 2 हालमार्क लैब खुले है।

सर्राफा व्यवसायिओं की प्रमुख समस्याएं

सर्राफा बाजार जनपद बलिया के व्यस्तम क्षेत्र चौक में अवस्थित है जहां पर पहुंचने के लिए जाम की समस्या होती है जिसे सुगम बनाया जाये तथा पार्किगं की व्यवस्था की जाय।

- जी0एस0टी0 की प्रक्रिया को और सरलीकरण किया जाए।
- जी0एस0टी रिटर्न मासिक, त्रैमासिक एवं वार्शिक लिया जाना चाहिए।
- ज्वेलरी हॉलमार्क लैब अधिक से अधिक खुलना चाहिए।
- स्वर्ण आभूशण बनाने हेतु प्रि ाक्षण केन्द्र की स्थापना।
- स्वर्णकारों की सुरक्षा व्यवस्था सुनि चत किया जाय।

कारीगरों की प्रमुख समस्याएं

- अप्रि ाक्षत एवं कम पढ़े–लिखे कारीगरों को प्रि ाक्षित करना कि आभूशण निर्माण की व्यवस्था मे सुधार हो।
- पर्याप्त कार्यो की अनुपलब्धता।
- सरकार द्वारा उनको सामाजिक सुरक्षा एवं पें ान की व्यवस्था होनी चाहिए।

- अन्य प्रदे ों/जिलों से आये कारीगरों द्वारा कम मजदूरी पर कार्यो के करने के कारण स्थानीय स्तर के कारीगरों को उचित मजदूरी प्राप्त न होने के कारण बेरोजगारी की स्थिति पैदा होना।
- करोना–19 महामारी के समय पर्याप्त कार्य न होने के कारण भुखमरी की स्थिति
- कारीगरों की चिकित्सकीय एवं अन्य कोई सुविधा का प्राप्त न होना।

जनपद–गाजियाबाद

जनपद का संक्षिप्त इतिहास

गाजीउद्दीन नगर से गाजियाबाद की स्थापना के सम्बन्ध में प्रचलित मान्यता है कि इसकी नींव मुगल वजीर गाजीउद्दीन खान दूमादुल्मुक ने सन् 1740 में रखी थी और गाजियाबाद का नाम गाजीउद्दीन नगर रखा था। तत्कालीन सराय और चारदीवारी के चिन्ह् आज भी देखे जा सकते हैं जो इसके सबसे बडे प्रमाण हैं। सन् 1864 में जब गाजियाबाद में रेलवे का टर्मिनल बना तो लम्बे नाम से टिकटों की छपाई में होने वाली असुविधा के कारण इसका नाम गाजीउद्दीन से गाजियाबाद कर दिया गया।

जनपद गाजियाबाद मेरठ मण्डल के 6 जिलों तथा उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक जनपदों में से एक है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार गाजियाबाद जनपद का सृजन 14 नवम्बर 1976 को हुआ था। जनपद ने सामाजिक, आर्थिक, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में निरन्तर उन्नति की है। ऐतिहासक, पौराणिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक दृश्टि से यह एक समृद्ध भाहर है। यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होते के नाते अच्छी तरह से सड़कों और रेल से जुडा हुआ है।

सर्राफा व्यवसाय का इतिहास

जनपद गाजियाबाद का सर्राफा व्यवसाय बहुत पुराना है। वर्श 2008 में यह एक रजिस्टर्ड एसोसिऐ ान बना। वर्तमान में इसमें 270 सदस्य हैं।

सर्राफा व्यवसाय की प्रमुख समस्यायं

सर्राफा व्यवसाय की प्रमुख समस्यायें निम्नवत् हैं–

- जी0एस0टी0 त्रिस्तरीय न होकर एकस्तरीय होना ।
- जी0एस0टी0 रिटर्न को प्रतिमाह दाखिल करना।
- जी0एस0टी0 दर का अधिक होना। छोटे व बडे व्यापारियों सभी का बराबर ध्यान नहीं रखा जाना।
- असुरक्षा की भावना का होना।
- चोरी व लूटपाट की घटनाओं का बढ़ना।
- सोने–चांदी के भावों में स्थिरता न होना।
- हॉलमार्क की प्रक्रिया का स्पश्ट न होना।

सर्राफा व्यवसाय के कारीगरों की प्रमुख समस्यायं

सर्राफा व्यवसाय के कारीगरों की प्रमुख समस्यायें निम्नवत् हैं–

- जनपद में अधिकतर कामगार बाहरी राज्यों से हैं जिसके कारण उनके रहन–सहन आदि पर खर्च बढता है किन्तु व्यवसाय में कमी के कारण कम मजदूरी प्राप्त हो रही है।

- सरकार द्वारा कारीगरों के हित में किसी प्रकार की योजना संचालित नहीं की जा रही है।
- प्रतिश्ठानों द्वारा आभूशण बनाने में म ीनों का प्रयोग किये जाने के कारण हाथ के कारीगरों की मांग कम हुई है।

जनपद में सर्राफा व्यवसाय के लिये सरकार से अपेक्षायें

- जी0एस0टी0 प्रकिया पारद ी होनी चाहिये।
- जी0एस0टी0 3 प्रति ात से घटाकर 1 प्रति ात किया जाये।
- सर्राफा व्यवसायियों के लिये सरकारी योजनायें नहीं बनाई गई हैं। छोटे व बडे व्यापारियों सभी का बराबर ध्यान रखा जाये।
- जैसे जैसे सोने–चांदी के रेट बढते हैं वैसे ही कैश लिमिट भी उसी अनुपात में बढायी जाये।
- 20 कैरेट के सोने की मांग को भी ध्यान में रखा जाये।
- हॉलमार्क में एच0यू0आई0डी0 कोड हटाया जाये।
- सर्राफा बाजार में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अव य लगाया जाये।
- सर्राफा व्यवसाय की सुरक्षा बढायी जाये।
- चोरी की घटनाओं से सुरक्षा प्रदान की जाये।
- ऑनलाइन कारोबार को और सरल किया जाये।
- हॉलमार्क रीन्यू करने की प्रकिया हर 10 साल में हो।
- लाइसेन्स रीन्यू की फीस कम की जाये।
- प्रत्येक जिले में हॉलमार्क के सेन्टर खोले जायें तथा इसकी समय–सीमा बढायी जाये।
- कामगारों के बच्चों की मुफ्त ि ाक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था।
- कामगारों को व्यवसाय हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ एवं प्रोत्साहन दिया जाये।

जनपद – गोरखपुर

जनपद का संक्षिप्त इतिहास

जनपद के मुख्य आर्थिक गतिविधियों को समेटे हुए सराफा से सम्बन्धित पुराना बजार घंटाघर के हिन्दी बाजार के इर्द–गिर्द स्थित कारोबार आजादी के पूर्व से ही होता आ रहा है। यहॉ का सराफा बाजार पूर्वान्चल का सबसे पुराना बाजार होने के कारण इस बाजार का विकास करना अति आवश्यक है। गोरखपुर के सराफा बाजार से ही यहॉ के अगल–बगल के स्थित जिलों के स्थानीय सराफा बाजारो की निर्भरता है। मुख्यरूप से गोरखपुर जनपद के लोग कृषि, व्ययपार एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए है। भारतीय इतिहास में जनपद गोरखपुर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इस क्षेत्र का उल्लेख बाल्मिकी रामायण में भी आता है। इस रामायण के अनुसार लक्ष्मण के दो पुत्र अंगद एवं चन्द्रकेतु को इस मण्डल के उत्तरी क्षेत्र में राज्य दिया गया था। अपनी धार्मिक एवं आध्यात्मिक साधना व वैभव के लिए प्रसिद्व भारतवर्ष में विशेष कर योग साधना के क्षेत्र में नाथ सम्प्रदाय व उनके प्रमुख योगियों का स्थान आता है। देश का ऐसा कोई प्रदेश या अंचल या जनपद शायद ही हो जिसे नाथ सम्प्रदाय के सिद्वों एवं योगियों ने अपनी चरण रज से या साधन और तत्वज्ञान की महिमा से पवित्र न किया हो।

स्वतंत्रता संग्राम में भी चौरी चौरा गोरखपुर का अग्रणी स्थान रहा है। सन् 1922 का चौरीचौरा काण्ड इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है जो यहॉ से 24 किमी0 दूर स्थित है। इस भूमि पर जवाहर लाल नेहरू अपने आन्दोलन के समय 4 वर्ष की सजा काटी थी। इसके अतिरिक्त प्रसिद्व क्रान्तिकारी पंडित रामप्रसाद विस्मिल को गोरखपुर के सेन्ट्रल जेल में फांसी दी गयी थी।

यह जनपद प्रदेश के प्रमुख नगरों में से एक है। यहॉ पर पूर्वोत्तर रेलवे, का मुख्यालय स्थित है, यातायात की दृश्टि से यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। सड़क, रेल तथा वायु मार्ग से यह नगर देश के प्रमुख नगरों दिल्ली, मुम्बई, कोलकता, चेन्नई आदि शहरों से जुड़ा हुआ है। जनपद की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जनपद में एक गीडा क्षेत्र भी है जो सहजनवॉ में नोएडा की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। यहॉ पर कई लघु एवं मझोले उद्योगों की इकाईयां स्थित हैं। जो नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहॉ पर तीन इन्जिनियरिंग कालेज तथा एक डेन्टल कालेज भी है। जनपद में 2 प्रमुख चीनी मिल स्थापित हैं, जिसमें पिपराइच चीनी मिल से उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सरदार नगर चीनी मिल बन्द की स्थिति में है। जनपद के सरदारनगर में मिनी डिस्टीलरी एवं सहजनवॉ में एक जूट मिल भी स्थापित हैं।यह जनपद 25.1 अच्छांश उत्तरी से 26.20 अच्छांश उत्तरी तथा 83.25 पूर्वी देशान्तर से 84.20 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जनपद के उत्तर में महराजगंज, पश्चिम सन्तकबीर नगर (खलीलाबाद) एवं सिद्वार्थनगर, दक्षिण में आजमगढ़ एवं मऊ तथा पूरब में देवरिया एवं कुशीनगर जनपद स्थित है। जनपद में 20 विकास खण्ड क्रम ाः पाली, सहजनवॉ, पिपरौली, जंगल कौड़िया, चरगॉवा, सरदारनगर, भटहट, पिपराइच, खोराबार, ब्रहमपुर, कौड़ीराम, बॉसगॉव,

उरूवा, गगहा, खजनी, गोला, बेलघाट, बड़हलगंज तथा कैम्पियरगंज, नव सृजित भरौहिया एवं 7 तहसीलें क्रमशः गोला, खजनी, सहजनवॉ, बॉसगॉव, सदर, चौरीचौरा तथा कैम्पियरगंज है।

सरार्फा व्यवसाय का इतिहास

सरार्फा का करोबार एक विश्वसनीय एवं शानो–शौकत का व्यापार रहा है। गोरखपुर के घंटाघर स्थित सरार्फा व्यापार राप्ती नदी के नजदीक होने के कारण नदी मार्ग द्वारा प्राचीन काल से ही व्यापार चला आ रहा है। सन् 1921 में सरार्फा भवन का निर्माण अग्रेजी हुकुमत के दौरान गोरखपुर में किया गया था, कि जिससे व्यापारी अपनी समस्याओं पर विचार–विमर्श कर सकें तथा अपने समस्याओं का निराकरण आपस में करते हुए अपनी बात को उच्च स्तर तक पहुँचा सके तथा अपनी भविष्य के योजनाओं के बारे में बैठ करके आपसी विचार–विमर्श कर सकें। इसी मूल उद्देश्य से सरार्फा भवन का निर्माण उक्त अवधि में कराया गया था।

सरार्फा व्यवसायिओं की प्रमुख समस्याएं

सरार्फा बाजार शहर के सबसे व्यस्तम् एवं घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। जहॉ पर पहुँचने के लिए काफी संधर्ष करना पड़ता है। सरार्फा व्यवसायिओं की मॉग है कि बाजार तक पहुँचने के लिए रास्ते को सुगम बनाए, पार्किग की व्यवस्था एवं जी0एस0टी की प्रक्रिया के सरलीकरण की जाए। जिससे इस बाजार का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सकें एवं व्यापारियों के सामने रोजी–रोटी की समस्याएं न रहे। नये कानून के अन्तर्गत जी0एस0टी0 में परिवर्तन नहीं किया जाए। ज्वेलरी कारीगरी से सम्बन्धित ऋण की सुविधा आसान न होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी0एस0टी0 धारकों के लिए सरल तरीका अपनाया जाए। ज्वेलरी जी0एस0टी0 धारकों के लिए पेंशन योजना प्रारम्भ किया जाए। रू0 40.00 लाख से कम टर्न ओवर का रजिस्टेशन न होने के कारण रोजी–राटी को चलाने में परेशानी होती है।

कारीगरों की प्रमुख समस्याएं

सरकार द्वारा हॉलमार्क पद्वति से आभूषण निर्माण पर जोर देने के फलस्वरूप जो अप्रशिक्षत एवं कम पढ़े–लिखे कारीगर है उनको प्रशिक्षित करके आभूषण निर्माण की व्यवस्था में सुधार किया जाएं, जिससे ग्राहकों को व्यापारियों द्वारा संतुष्ट किया जा सकें। आभूषण निर्माण के आधुनिक मशीनों से कारीगरों को प्रशिक्षण देकर बेरोजगार होने की दर को कम किया जा सकता है। सरकार द्वारा उनको सामाजिक सुरक्षा हेतु पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे अपना जीवन–यापन सुरक्षित कर सकें। कारीगरों द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थानीय अन्य प्रदेशों से आये कारीगरो द्वारा कम मजदूरी पर भी कार्य किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर के कारीगर उचित मजदूरी प्राप्त न करनें के कारण बेरोजगार होते जा रहे है। अन्य प्रदेश से आये कारीगरों द्वारा समय–समय पर घटनाओं को अन्जाम देने के फलस्वरूप सम्पूर्ण कारीगरों के मान–सम्मान पर ठेस पहुँचता है। अन्य प्रदेश से आये कारीगरों का पहचान की व्यवस्था न होने के कारण दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं बनी रहती है।

जनपद में सरार्फा व्यवसायियों की सरकार से अपेक्षा

सभी सरार्फा व्यवसायी यह चाहते है कि ग्राहको को गुणवत्तायुक्त ज्वेलरी प्रदत्त करायें, लेकिन सरकार की कार्य–प्रणाली इतनी जटिल है कि छोटे व्यवसायी सरकार के प्रणाली से जूड़ नहीं पा रहे है। सरकार को चाहिए कि छोटे–छोटे व्यवसायियों से सम्पर्क स्थापित कर इस कठिन प्रणाली को सरल बना करके इस व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। नये कानून के अन्तर्गत जी0एस0टी0 में परिवर्तन नहीं किया जाए। ज्वेलरी कारीगरी से सम्बन्धित ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। जी0एस0टी0 धारकों के लिए सरल तरीका अपनाया जाए। ज्वेलरी जी0एस0टी0 धारकों के लिए पेंशन योजना प्रारम्भ किया जाए।

जनपद – कानपुर नगर

जनपद का इतिहास

कानपुर नगर,उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख आद्योगिक नगर है। यह नगर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। यह नगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किमी दूर पश्चिम में स्थित है।ऐसी मान्यता है कि कानपुर शहर की स्थापना संचेन्दी राज्य के राजा हिन्दू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम कान्हपुर था। यह शहर पुराना कानपुर,पटकापुर,कुरसवा, जूही एवं सीसामऊ गॉवो के मिलने से बना था। पूर्व में इस नगर का शासन कन्नौज तथा काल्पी के शासकों के हाथों में रहा था।

वायु मार्ग कानपुर नगर से राजधानी लखनऊ का अमौसी हवाई अड्डा 65 किमी दूर पर स्थित है एवं कानपुर नगर में हवाई अड्डा चकेरी में स्थित है। रेल मागर्रू कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों से रेलगाड़ियो के माध्यम से जुड़ा हुआ है,जिसमे दिल्ली,मुम्बई,चेन्नई,हावड़ा जैसे बड़े एवं कई अन्य शहर प्रमुख है। सड़क मागर्रू कानपुर नगर में सड़के कई महत्वपूर्ण शहरो को जोड़ते है, जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग–2 दिल्ली, आगरा, प्रयागराज एवं कोलकाता को जोड़ता है, वही राट्रीय राज्य मार्ग–25 कानपुर को लखनऊ,झांसी इत्यादि जनपदों से जोड़ता है। कानपुर नगर का कुल क्षेत्रफल 3155 वर्ग किमी0 है,जिसमे कुल जनसँख्या 4581268 निवास करती है,जिसमे कुल 2459806 पुरुष एवं 2121462 महिला जनसंख्या है। शिक्षा एवं पर्यटनरू कानपुर में कई दर्शनीय स्थल भी है,यहां नानाराव पार्क (कम्पनी बाग), चिड़ियाघर,राधाकृष्ण मंदिर,श्री हनुमान मंदिर पनकी,सिद्धनाथ मंदिर जाजमऊ, आनन्देश्वर मंदिर परमट, बिठूर साई मंदिर, भारतीय तकनीकी संस्थान(आई0आई0टी0),श्री गंगा बैराज,छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय,हरकोर्ट बटलर तकनीकी संस्थान(एच0बी0टी0आई0), चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय आदि प्रमुख पर्यटन एवं शिक्षण संस्थाएं है।

अर्थब्यवस्था कानपुर नगर पूरे भारत में चमड़े के उद्योग का सबसे बडा केंद्र है यहाँ कारखानों की स्थापना से पूर्व भी गाँव के शिल्पकारों द्वारा कुटीर उद्योग के रूप में चमड़े के सामान का निर्यात किया जाता था,जो घोडा–गाड़ी का साज, सैंडलर और बर्तनों की स्थानीय मांग को पूरा करते थे। जूते,बेल्ट,पर्स, चप्पल,वस्त्र,सैंडल आदि चमड़ो की किस्म यहां बनाई जाती है। कानपुर नगर भारत के कुल चमड़े और चमड़े के सामान के निर्यात में लगभग 20% का योगदान देता है,यहां बनाये गए उत्पादों को अमेरिका, यूरोप एवं कई अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। कानपुर नगर में एक जिला एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना के लिए चमड़ा उद्योग एक बेहतर विकल्प है। कानपुर नगर को एक समय सूती वस्त्रों के उद्योग हेतु भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था, आज भी इसे वाणिज्यिक और आद्योगिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र माना जाता है। कानपुर नगर को उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। कानपुर नगर के कुछ प्रमुख उद्योग विश्व प्रसिद्ध है, जैसे कि–लाल इमली ऊनी कारखाने, एल0एम0एल0, पान पराग, आई0सी0आई0 लिमिटेड जो अब डंकन फर्टिलाइजर्डस के रूप जाना है। दुनिया के सबसे बड़े चमड़े के उद्योग एवं सूती मिले ए0एच0एल0, डी0एम0एस0आर0डी0आई0, स्माल आर्म्स फैक्ट्री (एस0ए0एफ0), फील्ड गन फैक्ट्री, पैराशूट फैक्ट्री जैसे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए भी कानपुर को जाना जाता है। सर्राफा ब्यवसाय का इतिहास कानपुर नगर का सर्राफा ब्यवसाय काफी पुराना है, यहां

के दो सर्राफा ब्यवसाय बाजार क्रमशः नया गंज, बिरहाना रोड एवं चौक बहुत ही प्रसिद्ध सर्राफा बाजार है।

सर्राफा ब्यवसाय की प्रमुख समस्यायेः–

कानपुर नगर के ब्यवसायियो की प्रमुख समस्याये निम्नवत है–

- आधारभूत सुविधाओं की कमी
- कानपुर में सर्राफा ब्यवसायियो के बाजार का क्षेत्र बहुत ही घना है,जिससे गलियो में बहुत भीड़ जमा हो जाती है एवं वाहनों की वजह से प्रायः जाम लग जाता है।
- सर्राफा क्षेत्र में जनसुविधाओं की कमी है इन क्षेत्रों में पीने के लिए पानी, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक स्वास्थ्य हेतु अस्पताल अत्यंत आवश्यक है।
- सर्राफा ब्यवसाय क्षेत्र में अत्यधिक भीड़–भाड़ का क्षेत्र होने के फलस्वरूप सुरक्षा अत्यंत अनिवार्य हो जाता है,अतएव यैसे क्षेत्रो में सुरक्षा प्रबंधन को और सुदृण होना होगा।
- जी0एस0टी0 नियमो की जटिलता ।
- लोन की सुविधा कठिन होना।
- हॉलमार्क नियमो का कठिन होना।
- नगद खरीद एवं बिक्री की सीमा कम होना।

कारीगरों की प्रमुख समस्याय

- सर्राफा ब्यवसाय सम्बंधी नियमो का अत्यंत कठिन होना।
- लोन की सुविधा कठिन होना।
- सुरक्षा की समस्या।
- हॉलमार्क की समस्या।
- नगद लेन–देन की सीमा का कम होना।
- सुरक्षा बीमा का न होना।
- हॉलमार्क सेंटर का न होना।
- जनसुविधाओं की कमी होना ।
- परिवहन खर्च का ज्यादा होना।
- कच्चे माल की सरलता से न प्राप्त होना।

जनपद में सर्राफा ब्यवसाय के लिए सरकार से अपेक्षाए

- जनसुविधाओं यथा सामुदायिक अस्पताल,सामुदायिक शौचालय, जनसुविधा केंद्र का निर्माण करना,पुलिस सुरक्षा को और मजबूत करना इत्यादि पब्लिक से जुड़े अन्य समस्यायों का निस्तारण होना चाहिए।
- लोन से सम्बंधित किसी भी समस्या के लिए एक निदान केंद्र होना चाहिए।
- ईमानदारीपूर्वक एवं समय से लोन जमा करने वालो को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- ब्यवसाय नियमो में सरलता होनी चाहिए जिससे लेखा सम्बंधी खर्च कम हो सके।
- लोन लेने के नियम को और सरल बनाना चाहिए।
- हॉलमार्क नियम को और सरल करना चाहिए।
- नगद खरीद एवं बिक्री की सीमा को आकस्मिकता के आधार पर और बढ़ाना चाहिए।

जनपद–लखनऊ

जनपद का संक्षिप्त इतिहास

लखनऊ जहां हिन्दुस्तान के हृदय उत्तर प्रदे ा का भाग्य लिखा जाता है प्रदे ा की राजधानी के साथ–साथ अपने सांस्कृतिक परिवे ा के कारण सारी दुनियां के लिये कौतूहल का विशय रहा है। लखनऊ का सामाजिक स्वरूप, भाशा, व्यवहार, साहित्य, संस्कार, अदब, ि ाश्टाचार, गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य के अनेक सरोकार, खान–पान, रहन–सहन, जीवन ौली, वास्तु विन्यास, हैण्डीक्राफ्ट्स आदि सबमें एक अनूठापन है।

प्राचीनकाल में लखनऊ कोसल राज्य का हिस्सा था, जो बाद में अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लखनऊ के नाम की उत्पत्ति पर विद्वानों के अलग–अलग मत है कुछ विद्वानो का कहना है कि यह भगवान श्री राम की विरासत थी जिसे उन्होने अपने भाई लक्ष्मण को सौंपी थी, लक्ष्मण के नाम पर इसका नाम लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर, लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना आसुफुद्दौला ने 1775 ई0 में की थी। स्वतन्त्रता उपरान्त 12 जनवरी 1950 को लखनऊ उत्तर प्रदे ा की राजधानी बना।

लखनऊ जनपद प्रदे ा के केन्द्रीय सम्भाग में 26.30 डिग्री एवं 27.10 डिग्री उत्तरी अक्षां ा तथा 80.34 डिग्री एवं 81.12 डिग्री पूर्वी दे ान्तर के बीच स्थित है। जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2528 वर्ग किमी तथा जनसंख्या 45.89 लाख है। इसके उत्तर पूर्व में जनपद बाराबंकी और प ि चम में उन्नाव, प ि चमोत्तर में हरदोई, उत्तर में सीतापुर तथा दक्षिण पूर्व में रायबरेली स्थित है। समुद्र तट से इसकी ऊँचाई 125 मी0 है। लखनऊ भाहर के मध्य गोमती नदी जो ट्रांस गोमती एवं सिस–गोमती क्षत्रों में विभाजित करती हुई प ि चम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है।

आर्थिक गतिविधियां

लखनऊ प्रदे ा की आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। यहां सरकारी विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बहुत है। यहॉ वृहद्, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ ही वि ोश आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत वि ोश संसाधन परिक्षेत्र का संरचनात्मक स्वरूप तैयार कर विविध विदे ी एवं घरेलू कम्पनियों के उत्पादन इकाइयों को स्थापित किया गया है, जिससे प्रदे ा के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के लागों की मुख्य आजीविका का साधन कृशि एवं वानिकी है। कृशि में गेहूँ, धान, मक्का, दलहन की फसलों के उत्पादन के साथ–साथ नकदी फसलों जैसे गन्ना, पिपरमेन्ट, खरबूजा आदि का उत्पादन भी किया जाता है। लखनऊ के मलिहाबादी आम को भौगोलिक संकेतक का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है।

लखनऊ के चिकनकारी उद्योग ने अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, इसे लखनऊ के 'एक जनपद एक उत्पाद' के रूप में नामित किया गया है और इसे भौगोलिक संकेतक देने की प्रक्रिया अनवरत है। लखनऊ की कलाकृतियां जैसे चिनहट का टेरीकोटा, मृत्तिका कला, चॉदी के बर्तन एवं सजावटी सामान, नक्का ी, हस्त ि ाल्प उद्योग जैसे लघु उद्योगों की अपनी अलग पहचान है। लखनऊ हिन्दी चलचित्र उद्योग एवं पत्रकारिता का प्रमुख केन्द्र रहा है। यहॉ पर कई फिल्मों की भ्रूटिंग एवं पत्रकारिता के कार्यालय स्थित है। यहां की आर्थिक गतिविधियों में पर्यटन की अहम भूमिका रही है। यहां के द ार्शनीय पर्यटन स्थलों में कई इमामबाड़े, सआदत अली का मकबरा, बेगम हजरत महल पार्क, खु ार्शीद जैदी का मकबरा, रूमी दरवाजा, कुकरैल, पिकनिक स्पॉट, हाथी पार्क, जने वर मिश्र पार्क, नीबू पार्क, रेजीडेन्सी मरीन ड्राइव, तारामंडल, आंचलिक विज्ञान केन्द्र, अम्बेडकर पार्क इत्यादि है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार

द्वारा लखनऊ को पर्यटन की दृश्टि से विकसित करने हेतु मुम्बई की तरह फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे यहां की आर्थिक संरचना को विकसित करके सम्वर्धित किया जा सके।

जिला घरेलू उत्पाद अनुमान, उत्तर प्रदे ा वर्श 2018–19 (अनन्तिम) रिपोर्ट के अनुसार जनपद का सकल मूल्यवर्धन (जी0वी0ए0) प्रचलित भावों पर वर्श 2018–19 के लिये रू0 54853.22 करोड़ अनुमानित है, जिसमें कृशि क्षेत्र 9 प्रति ात, औद्योगिक क्षेत्र 38 प्रति ात तथा सेवा क्षेत्र 53 प्रति ात का योगदान करता है। प्रचलित भावों पर वर्श 2018–19 में जनपद की प्रति व्यक्ति वार्शिक आय रू0 104.016 आंकलित की गई है।

सर्राफा व्यवसाय का इतिहास

सर्राफा व्यावसाय आदि काल से चला आ रहा है बस इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। लखनऊ का सर्राफा व्यवसाय भी अति प्राचीन है पूर्व में यह व्यवसाय चौक बाजार जो गोल दरवाजे से शुरू होता था वह विस्तृत एवं व्यापक होकर अमीनाबाद, गोलमार्केट (महानगर), भूतनाथ मार्केट (इन्दिरा नगर), पत्रकारपुरम (गोमती नगर) एवं आलमबाग तक फैल चुका है। शहर का चौक बाजार अपने हुनर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है यहां बड़े से बड़ा सोने का काम आसानी से हो जाता है। यहां के कारीगर देश के किसी भी कोने से ज्वैलरी की डिजाइन देखकर कम दाम में हूबहू नकल तैयार करके सार्राफा बाजार की महत्ता सम्पूर्ण राष्ट्र में स्थापित किये है। यही वजह है कि शहर में विश्व प्रसिद्ध तनिष्क, रिलायन्स एवं कल्याण जैसी ब्रान्ड आ जाने के बावजूद भी चौक बाजार की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, जिसके कारण आज भी लखनऊ सर्राफा व्यवसाय के 70 फीसदी हिस्से पर पुराने चौक बाजार का ही हिस्सा है। लखनऊ की एम्बोज ज्वैलरी आज भी बहुत प्रसिद्ध है जिसकी मांग स्थानीय के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत है। उत्तर प्रदेश की चांदी की पहली रिफाइनिंग 28 फरवरी, 1952 में लखनऊ में ही शुरू हुई थी। उससे पहले रिफाइनिंग का काम कही नहीं होता था। बैंक से सोना लेने का प्रदेश का पहला लाइसेंस लखनऊ ने लिया था। जानकारों का कहना है कि बाजार में करीब दो सौ किलो सोना बैंक से खरीदने का लाइसेंस है। इसके बाद यहां से सोना पूरे प्रदेश में जाने लगा। वर्तमान में लखनऊ का सर्राफा बाजार 6–7 क्लस्टर में फैला हुआ है तथा अपनी आधुनिक विकसित तकनीकी यंत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय ब्राण्ड तनिष्क, रिलायंस आदि को बराबर की टक्कर दे रहे हैं।

सर्राफा व्यवसाय की प्रमुख समस्यायें

लखनऊ के सर्राफा व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा करते हुए बताया गया कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने में हर महीने उन्हे बहुत लम्बी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्राफा प्र िक्षण संस्थान न होने के कारण सर्राफा व्यवसायियों को प्र िक्षित कामगार नही मिल पाते है जिससे उनकी निर्भरता अन्य राज्यों के कारीगरों पर ज्यादा रहती है। सर्राफा व्यवसायी ज्वैलरी की हॉलमार्किंग की अनिवार्यता पर तो सहमत है लेकिन इसके साथ सोने की हर ज्वैलरी पर अंकित किये जाने वाले HUID (हॉलमार्किंग यूनिक आइडेन्टीफिके ान) पर सहमत नही है। उनका कहना है कि 02 ग्राम से ऊपर की बेची जा रही ज्वैलरी पर खरीदने वाले ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नं0 की जानकारी भी देनी होगी, जिससे उनके ग्राहकों में कमी हो सकती है जो सामाजिक सुरक्षा का भी एक विशय है। सर्राफा व्यवसायियों को बैंकों से ऋण लेने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आये दिन सर्राफा व्यवसायी लूट–डकैती फिरौती जानलेवा हमला के िकार होते रहते है।

कारीगरों की प्रमुख समस्यायं

सर्वेक्षण के दौरान कामगारों द्वारा बताया गया कि उनका कहीं पर रजिस्ट्रे ान नही होता है और न ही उनका कोई संगठन है जिसके तहत वह अपनी समस्यायें सरकार के सामने रख सके। कामगारों की मजदूरी की कोई दर भी तय नही होती है। उनके पास इतनी पूंजी भी नही होती है कि वह अपना स्वयं का कारोबार भ्ारू कर सके। उन्हे ऋण लेने हेतु दस्तावेज भी उनके पास नही होते जिससे वह आसानी से ऋण ले सके। कारीगरों ने बताया कि उनकी आय उनके जीवनयापन के लिये अपर्याप्त होती है। हर समय उन्हे काम मिलता रहे ऐसा भी नही है। कोविड–19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय भी कहीं रजिस्टर्ड न होने से उन्हे किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद प्राप्त नही हुई।

जनपद में सर्राफा व्यवसाय के लिये सरकार से अपेक्षायं

- **जी0एस0टी0 सम्बन्धित अपेक्षायें**–: जी0एस0टी0 प्रक्रिया को सरल बनाया जाये। बार–बार रिर्टन फाईल करने से असुविधा होती है, साथ ही वकीलों को अधिक फीस भी देनी पड़ती है। अतः वार्षिक अथवा अर्द्धवार्षिक रिर्टन ही माँगा जाए जिससे एक या दो बार में ही सम्पूर्ण जानकारी सरकार द्वारा प्राप्त कर ली जाये। जी0एस0टी0 की दरें कम की जाएँ खासकर बुजुर्ग व छोटे व्यवसायी के लिए 3 प्रतिशत की जगह 1 प्रतिशत की रखी जाए। रिर्टन भरने में चूक होने पर लगने वाले जुर्माना से छुटकारा मिलना चाहिए।
- **हॉलमार्क सम्बन्धित**–:हॉलमार्क अनिवार्य होना चाहिए परन्तु इससे सम्बन्धित कानून व अनिवार्य प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिए। हॉलमार्किंग की वजह से छोटे उद्यमियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े इसके लिए छोटे उद्यमियों के लिए हॉलमार्किगं सेन्टर की स्थापना की जाये। सोने की हर ज्वैलरी पर अंकित किये जाने वाले भ्न्प्क अनिवार्याता से छूट प्रदान की जाये।
- **सोने के भाव सम्बन्धित**–सोने की कीमतों में कमी लाई जाए व पूरे राष्ट्र में सोने का एक ही भाव रखा जाए। एक राष्ट्र एक भाव।
- **ऋण सम्बन्धित**–:सर्राफा व्यवसायियों को ऋण कम ब्याज दरों पर आसानी से उपलब्ध कराया जाए। ब्याज दरों में छोटे व्यवसायियों को छूट दी जाए। साथ ही बैंकों द्वारा स्वाइप मशीन/कार्ड पर लगने वाले शुल्क को समाप्त किया जाये, जिससे ग्राहकों को राहत मिले।
- **आर्थिक सहायता**–:कोविड–19 की वजह से खासकर छोटे व्यवसायी व कामगारों के ऊपर आर्थिक बोझ अधिक पड़ा है। अतः उनको आर्थिक सहायता पैकेज दिया जाए साथ ही किसी आर्थिक सहायता कोष की स्थापना की जाए जिससे समय–समय पर सर्राफा व्यवसाय से जुड़े कामगारों व छोटे व्यवसाइयों की संकट के समय सहायता की जा सके।
- **कामन फैसिलिटी सेन्टर**–:सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों व कामगारों के लिए कामन फैसिलिटी सेन्टर की स्थापना की जाए। साथ ही इन सेन्टरों के माध्यम से हितकारी योजनाओं सम्बन्धी जानकारी/प्रशिक्षण क्षमता निर्माण (ब्ंबपजल ठनपसकपदह) आदि में सहायता की जाए।
- **सुरक्षा**–: एक और जरूरी पहलू असामान्य स्थितियों का सामना करने हेतु सुरक्षा भी है। विगत वर्षों में कई सर्राफा व्यवसायी लूटपाट/चोरी/डकैती एवं जानलेवा हमलों के शिकार हुए है। अतः व्यवसाय से जुड़े लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम जरूरी हैं।
- **प्रशिक्षण संस्थान**–: प्रदेश में कम से कम एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए जिससे व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित वर्ग तैयार किया जा सके व बारीक कामों के लिए अन्य राज्यों के कारीगरों पर निर्भता कम हो सके साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।
- **अन्य**–:सर्राफा व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों/कामगारों एवं उनके परिवारों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाऐं जैसे स्वास्थ बीमा, शिक्षण/प्रशिक्षण व मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। सरकार द्वारा पूर्व में प्रस्तावित ज्वैलरी पार्क की स्थापना की जाये।

जनपद –मेरठ

जनपद का संक्षिप्त इतिहास

भारत के इतिहास में जनपद–मेरठ का गौरवपूर्ण इतिहास है। गंगा के पावन जल से अभिसिंचित यह भूमि महाकाव्य काल से ही ऋषि–मुनियों की साधना स्थली रही है। कौरव–पाण्डवों की राजधानी हस्तिनापुर, राजा परीक्षित की राजधानी परीक्षितगढ, सरधना का बेगम चर्च तथा जम्बू द्वीप जनपद में स्थित हैं। सन् 1857 ई0 में अमर शहीद मंगल पाण्डे के नेतृत्व में स्वतन्त्रता संग्राम/क्रान्ति की प्रथम चिंगारी काली पलटन के मन्दिर से प्रज्वलित हुई थी।

जनपद में मुख्यतः मेरठ, हस्तिनापुर, मवाना एवं सरधना आदि नगरों में उद्योगों का विकास हो रहा है। जनपद में वृहद उद्योग के अन्तर्गत 5 चीनी मिलें हैं, जिनमें मवाना, किनोनी तथा दौराला चीनी मिल प्रमुख हैं। उच्च कोटि के भारी वाहनों के टायरों के निर्माण हेतु मोदी रबर इण्डस्ट्रीज के नाम से रबर फैक्ट्री स्थित है। परतापुर एवं मोहकमपुर क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान स्थित है। यहॉ पर सॉफ्ट ड्रिंक, आटा, डबल रोटी, कृषि उपकरण, सर्जरी एवं विद्युत उपकरण (ट्रान्सफार्मर) का निर्माण होता है। गन्ना बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण खाण्डसारी इकाई तथा क्रेशर के लिए आवश्यक विभिन्न यन्त्रों के लिए जनपद विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जनपद में खेलकूद का सामान भी बनाया जाता है जिसमें क्रिकेट का सामान विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसे अर्न्तराष्ट्रीय खिलाड़ी स्वयं मेरठ आकर खरीद कर लेकर जाते हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में बैण्ड–बाजें (वाद्य यन्त्र) भी बनाये जाते है जिनका निर्यात विश्व के अन्य देशों में किया जाता हैं।

जनपद मेरठ में सर्राफा व्यवसाय का इतिहास बहुत ही पुराना है। मुगल काल से ही जनपद अपनी पारम्परिक ज्वैलरी के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के कारीगरों द्वारा तैयार किये गये आभूषणों को भारत के कोने–कोने में व्यवसायियों द्वारा भेजा गया है। आजादी के पूर्व ही यहाँ के आभूषणों को कोलकाता, मुम्बई, देहरादून, शिमला, लखनऊ आदि स्थानों पर मुख्य रूप से उपलब्ध कराया जाता रहा है। आधुनिक युग में बढ रहे आभूषण शौष्ठव के प्रतिस्पृर्धी युग में भी मेरठ का सर्राफा व्यवसाय पूर्ण रूपेण विकसित दशा में प्रतीत होता हैं।

सर्राफा व्यवसाय की प्रमुख समस्याएं

जनपद–मेरठ सर्राफा व्यापारियों के लिए सदैव उन्नतिशील रहा है परन्तु विगत कुछ वर्षों से इस व्यवसाय में कमी निम्न कारणों से देखने को मिल रही है:–

- जी0एस0टी0 का त्रिस्तरीय होना।
- जी0एस0टी0 रिटर्न को प्रतिमाह दाखिल करना।
- जी0एस0टी0 की दर का अधिक होना।
- सोने–चॉदी के भावों में स्थिरता न होना।
- अत्यधिक महंगाई होने के कारण ग्राहकों में क्रय शक्ति का कम होना।
- सरकारी नियमों का स्थानीय भाषा में न होकर अंग्रेजी में उपलब्ध होना।
- बैंकों द्वारा व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराने में अत्यधिक औपचारिकताएँ लागू करना तथा उसके उपरान्त भी समय पर ऋण उपलब्ध न होना।

कारीगरों की प्रमुख समस्याएं

सर्राफा व्यवसाय में मूलतः कच्चे माल (सोना–चांदी) को कारीगरों द्वारा ही आभूषणों के रूप में तराशा जाता है। इस कार्य में अत्यधिक मेहनत एवं उत्कृष्ठ कारीगरी का प्रयोग करना होता है। कारीगरों द्वारा बताई गई मुख्य समस्याएँ निम्न प्रकार हैंः–

- आभूषण बनाने के पश्चात् प्रतिफल के रूप में प्राप्त मजदूरी कम होना।
- बड़ी–बड़ी व्यवसायिक कम्पनियों द्वारा भी इस कार्य में उतरने से कारीगरों से आभूषण खरीदने हेतु ग्राहक नहीं पहुचते हैं जिसके कारण कारीगरों को केवल आभूषण निर्माण की मजदूरी ही मिल पाती है। इस प्रकार कारीगरों की आय में निरन्तर कमी हो रही हैं।
- जनपद में अधिकतर कारीगर बाहरी राज्यों (जैसे बंगाल, बिहार आदि) से होने के कारण उनके रहन–सहन आदि पर खर्च बढ़ता है जिसके परिणाम स्वरूप कारीगर अपनी मजदूरी बढ़वाना चाहते हैं लेकिन व्यवसाय में निरन्तर कमी के कारण मजदूरी बढ़ना सम्भव नही हो पा रहा है। इस कारण आय में कमी हो रही है। इसके कारण पुश्तैनी कारीगरों की इस कार्य के प्रति आर्किषतता भी कम हो रही है।
- बड़ी–बड़ी कम्पनियों द्वारा आभूषण बनाने हेतु मशीनों का प्रयोग किये जाने के कारण हाथ की कारीगरी कम हुई है। मशीनों द्वारा किये गये कार्य को ग्राहकों द्वारा पसंद किये जाने के कारण कारीगरों के हुनर की कीमत नहीं मिल पा रही।
- सरकार द्वारा कारीगरों के हित में संरक्षण हेतु कोई भी योजना का संचालन नही किया जा रहा है। आधुनिक आभूषणों को बनाने हेतु कारीगरों को उत्तम प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन योजना को लागू किया जाना चाहिए। वृद्धावस्था प्राप्त कर चुके कारीगरों जीविकोपार्जन हेतु सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

जनपद में सर्राफा व्यवसाय के लिए सरकार से अपेक्षाएँ

- व्यवसाय संचालन में सरकारी औपचारिकताओं को कम करना।
- व्यवसाय क्षेत्र में बड़ी–बड़ी कम्पनियों के आने से छोटे–छोटे व्यवसायों को संरक्षण दिया जाना।
- जी0एस0टी0 दर एवं स्तर को कम करना।
- छोटे व्यवसायी एवं कारीगरों को संरक्षण प्रदान करने की नीतियों को लागू करना।
- आभूषणों पर एच0यू0आई0डी0 योजना को लागू न करना।

जनपद – मिजापुर

जनपद का इतिहास

सन् 1830 में मिर्जापुर जनपद को पृथक जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक पृश्ठभूमि के अन्तर्गत गहरवारों, चन्देलों, भरों एवं खरवारों के राज्य इस क्षेत्र में रहे। जनपद का सर्वाधिक प्राचीन नगर चुनार माना जाता है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। चुनार के अति प्राचीन किले में हिन्दू, मुस्लिम एवं ब्रिटि ा काल खण्डों के साक्ष्य एकदम स्पश्ट है। जनपद की महान विभूतियों ने 1857 की स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई से लेकर आजादी की लड़ाई तक में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। इस जनपद को राश्ट्रीय स्तर के साहित्यकार देने का गौरव प्राप्त है।

जनपद में विन्ध्याचल मन्दिर के साथ ही अश्टभुजा एवं कालीखोह मन्दिर है, जो त्रिकोण के नाम से प्रसिद्ध है। यहॉ पर पूरे भारत से द र्नार्थी द र्न करने हेतु आते है। यहॉ पर रामे वरमहादेव मन्दिर एवं पंचमुखी महादेव मन्दिर एवं गूरूद्धाराबाग भी प्रसिद्ध है। यहॉ पर ि ावपुर, सीताकुण्ड, प्रसिद्ध है। जनपद में अनेक रमणीय स्थल है जैसे–विण्ढम फाल, राजदरी, देवदरी, खडंजा एवं लखनिया दरी, टाण्डाफाल, पूण्य जल नदी, इत्यादि।

जनपद प्राकृतिक संपदा के साथ–साथ पावनता,सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकता के लिए म ाहूर है। जनपद में तारा देवी मन्दिर से मोतिया तालाब तक बौद्धधर्म के अनेक चिन्ह मिलते हैं। आदिवासी परम्परा, नृत्य–गान, टोना–टोटका, भित्तिगुहा चित्र, प्रस्तर उत्कीर्ण, नदिया, दरिया, प्रपात, सरोवर और कूप इस जनपद को समृद्ध करते हैं। जनपद में खरवार, बिन्द, धरकार, चेरों, कोल एवं पनिका आदिवासी जनजातियां हैं। जनपद में पीरों एवं फकीरों के भी भारत प्रसिद्ध मजार है। जनपद की कजली पूरे भारत में विख्यात है।

मार्च 1989 में जनपद के विभाजन के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयों से युक्त क्षेत्र नवसृजित जनपद सोनभद्र का हिस्सा है। वर्तमान में निजी क्षेत्र की सीमेन्ट फैक्ट्री चुनार के अतिरिक्त जनपद में कोई बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं है। कालीन उद्योग, पत्थर उद्योग, बर्तन उद्योग,चुनार का पाटरी उद्योग एवं लाह उद्योग जनपद के मुख्य उद्योग थे। जनपद में वनोपरक आधारित उद्योगों, प ुपालन, उद्यानीकरण, भेंड़पालन, बकरी पालन,मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा व्यवसायिक कृशि उत्पादों को बढ़ावा देने की अधिकाधिक सम्भावनाएं हैं। जनपद में पर्यटन स्थल विकसित किये जाने की अपार सम्भवनाएं हैं।

सर्राफा व्यवसाय का इतिहास

जनपद मिर्जापुर सर्राफा व्यवसाय के लिए प्रचीन काल से ही काफी प्रसिद्ध था। यहॉ के डिजाईन किये गये परम्परागत गहनों को न केवल प्रदे ा के अन्य जनपदों में, बल्कि पड़ोंसी प्रदे ों जैसे मध्य प्रदे ा आदि में भी पसन्द किया जाता है। जिससे मिर्जापुर का सर्राफा व्यवसाय काफी समृद्ध था किन्तु विगत 02 द ाकों से सर्राफा व्यवसाय में बंगाली कारीगरों के आ जाने के कारण एवं उनके द्वारा बारीक तारों से निर्मित आधुनिक डिजाईनदार आभूशण से, जनपद के परम्परागत तरीकों से निर्मित आभूषण प्रतिस्पर्धा न करने के कारण परम्परागत सर्राफा व्यवसायियों की स्थिति में गिरावट आयी है। वर्तमान समय में मिर्जापुर का सर्राफा व्यवसाय केवल जनपद स्तर तक ही सीमित रह गया है। आज के समय में जनपद में लगभग 100 से कम छोटे–बड़े सर्राफा व्यवसायी ही कार्यरत रह गये है।

सर्राफा व्यवसाय की समस्याए

सर्राफा व्यवसाय हेतु पूरे देश में आभूषणों की शुद्धता एवं सुन्दरता को प्रमाणित करने हेतु हॉलमार्क लागू किया गया है किन्तु जनपद में अभी तक हॉलमार्क केन्द्र की स्थापना न होने के

कारण सर्राफा व्यवसाय में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण ग्राहकों को आभूषणों की गुणवत्ता एवं भाुद्धता की गारण्टी का विस्वास देने में समस्या आ रही है। इसके साथ साथ इस व्यवसाय हेतु बैंकों द्वारा आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है जिससे इस व्यवसाय के कारोबार में दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है एवं सर्राफा कारोबारियों के मन में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी हमेशा भय बना रहता है।

कारीगरों की समस्याएँ

जनपद के अधिकतर कारीगर अपने पूर्वजों से सीखे गये पराम्परागत तरीकों से आभूषण निर्मित करते है, जो आधुनिक तकनीक से निर्मित आभूशणों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है, जिसके कारण आभूषणों के क्रय एवं विक्रय में कमी आने के कारण पराम्परागत सर्राफा कारीगरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रति–दिन खराब होती जा रही है।

सरकार से अपेक्षाएँ

जनपद के सर्राफा व्यवसायियों की सरकार से यह अपेक्षा है कि हालमार्क सेन्टर की स्थापना की जाय जिससे आभूशणों की शुद्धता एवं गुणवत्ता की गारण्टी के सम्बन्ध में ग्राहकों को संतुश्ट किया जा सके एवं कारीगरों को आधुनिक तकनीक आभूशण निर्मित करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। आभूशणों के क्रय विक्रय पर लगाये गये जी0एस0टी0 की दरों में यथासम्भव रियायत बरता जाय एवं व्यवसाय हेतु सुरक्षात्मक दृश्टिकोण अपनाते हुये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाय। सर्राफा व्यवसायियों को इस व्यवसाय हेतु बैकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाय।

जनपद–प्रयागराज

जनपद का संक्षिप्त इतिहास

प्रयागराज उ0प्र0 के बड़े जनपदों में से एक है, जो गंगा, यमुना व अदृ य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहॉ आर्यो की प्रारम्भिक बस्तियां स्थापित हुई थी। प्रयागराज अपने गौरव ाली अतीत व वर्तमान के साथ हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, जैन व इसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृतियों का भाहर है। कहा जाता है कि सृश्टिकर्ता ब्रहा ने सृश्टि कार्य पूर्ण होने के बाद यहां प्रथम यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम प्रयागराज पड़ा। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम वन जाते समय गंगा तट पर बसे निषादराज की राजधानी श्रृगंवेरपुर में रुके थे। निशादराज गुह द्वारा अपनी नौका से श्री राम तथा उनकी भार्या सीता जी एवं सहोदर लक्ष्मण को गंगापार कराये जाने का उल्लेख मिलता है। गंगापार करने के उपरान्त मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम प्रयाग में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में विश्राम किये थे। महाकवि तुलसीदास जी ने अपने लोकप्रिय ग्रन्थ रामचरित मानस में प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है

को कहि सकै प्रयाग प्रभाऊ।
कलुश पुंज कुंजर मृगराऊ।।

प्रयागराज में महाकुम्भ प्रत्येक 12 वर्श के अन्तराल पर गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम त्रिवेणी पर आयोजित होता है। सातवीं भाताब्दी में सम्राट हर्श वर्धन द्वारा कुम्भ पर्व आयोजित करने और स्वयं आकर सर्वस्व दान करने का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी किया है। उत्कृश्ट यज्ञ और दान दक्षिणा आदि से सम्पन्न स्थल देखकर भगवान विश्णु एवं भगवान भांकर आदि देवताओं ने इसका नाम प्रयागराज रख दिया, ऐसा उल्लेख कई पुराणों से मिलता है। तीर्थराज प्रयागराज को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदाता कहा गया है। यह सभी तीर्थो में श्रेश्ठ है। वर्तमान में प्रयागराज में विभिन्न संस्थान स्थापित है, जिनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश महालेखा परीक्षक, रक्षा लेखा प्रमुख नियंत्रक (पेंशन) पीसीडीए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, पुलिस मुख्यालय, मोती लाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, कृषि कॉलेज और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) आदि प्रमुख है।

उत्तर प्रदे ा सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर, 2018 में जनपद इलाहाबाद का नाम बदलकर ''प्रयागराज'' कर दिया गया है। इससे भारतीय संस्कृति का अन्तर्राश्ट्रीय पटल पर प्रचार–प्रसार होगा तथा इस क्षेत्र की अपनी वैदिक और पौराणिक पहचान अक्षुण्ण रहेगी।

प्रारम्भ से ही राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक केन्द्र होने के कारण जनपद में आदिकाल से ही कई उद्योग धंधे विकसित हुए है, जिसमें कृशि, प ुपालन, कुक्कुट व्यवसाय, तार, सर्राफा व्यवसाय, पर्यटन आदि प्रमुख है। जनपद की अर्थ व्यवस्था एवं बहुमुखी विकास मे कृषि कार्यो के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान उद्योगो का है। प्रयागराज में शीशा और तार कारखाने प्रमुख हैं। यहां के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र नैनी और फूलपुर है, जहां कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की इकाइयां स्थापित हैं। इनमें अरेवा टी एण्ड डी इण्डिया (बहुराष्ट्रीय अरेवा समूह का एक भाग), भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लि. यानी बीपीसीएल, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई.टी.आई), रिलायंस इंडस्ट्रीज–इलाहाबाद निर्माण प्रखंड, हिन्दुस्तान केबल्स, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. (टी.एस.एल. भारत यंत्र निगम की एक गौण इकाई) आदि प्रमुख है। इंडीयन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव इफको फूलपुर क्षेत्र में स्थापित है। यहॉ इफको की दो इकाइयां हैं, जिनमें विश्व का सबसे बड़ा नैफ्था आधारित खाद निर्माण परिसर स्थापित है। प्रयागराज में पॉल्ट्री और कांच उद्योग भी विकसित है। जनपद में तीन तापीय विद्युत परियोजनाएं मेजा, बारा और करछना तहसीलों में जेपी समूह एवं नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा स्थापित हैं।

सर्राफा व्यवसाय का इतिहास

प्रयागराज में इलेक्ट्रिकल्स, ट्रांसफार्मर, फार्मास्युटिकल आदि के साथ एक और महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, सर्राफा इंडस्ट्री। यह उद्योग इस शहर की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। प्रयागराज में न सिर्फ ज्वैलरी की बिक्री होती है, बल्कि सोने और चांदी से बने ज्वैलरी की मेकिंग

भी यहां पर बड़ी मात्रा में होती है। इससे करीब 25 हजार से अधिक कारीगर और उनके परिवार जुड़े हैं। प्रयागराज की सर्राफा मंडी की पकड़ आस–पास के कई जिले, बाजारों व कस्बों में है। जौनपुर, मिर्जापुर, रीवां, सतना, फतेहपुर, खागा, प्रतापगढ़, कौशांबी में प्रयागराज की थोक सर्राफा मंडी से ज्वैलरी सप्लाई होती है। प्रयागराज में खरा सोना कोलकाता और दिल्ली से आता है। इसके बाद यहां पर खरे सोने से ज्वैलरी बनाई जाती है। प्रयागराज में पश्चिम बंगाल के हजारों कारीगर परिवार के साथ रहते हैं। यहां की तंग गलियों में किराए के कमरे इनका ठिकाना हैं। यह ज्वैलरी बनाने के साथ–साथ ज्वैलरी की सफाई करते हैं। जोड़ाई और गलाई के साथ ही आभूषण से संबंधित अन्य कामों से जुड़े हुए हैं। बड़े सर्राफा कारोबारियों ने इन्हें अपने साथ नियोजित कर रखा है। लेकिन वर्तमान में कोविड–19 महामारी के चलते लॉकडाउन में कारोबार बंद होने के कारण छोटे सर्राफा व्यवसायी व कारीगर बुरी तरह प्रभावित हुए है।

सर्राफा व्यवसाय की प्रमुख समस्याएं

प्रयागराज सर्राफा मण्डल के प्रतिनिधि व्यपारियों व सर्वेक्षण के दौरान व्यवसायों से हुई वार्ता में सर्राफा व्यवसाय से जुड़े कई समस्याओं का उल्लेख किया गया। जी0एस0टी0 आने से सर्राफा व्यवसाय में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अधिकां ा सर्राफा व्यवसायी कम पढे–लिखे है, जिससे जी0एस0टी0 भरने हेतु वकीलों/कम्प्यूटर आपरेटरों पर निर्भर होना पड़ता है। जनपद में केवल एक हॉलमार्क केन्द्र होने के कारण दूरस्थ स्थान पर सर्राफा व्यवसायियों को हॉल मार्क हेतु प्रायः भाहर आना पड़ता है, उनके पास कीमती व अधिक मात्रा में आभूशण होने के कारण उनके जान माल का खतरा हमे ाा बना रहता है व दुर्घटनाओं की सम्भावना रहती है। निर्माण में नई तकनीकी व प्रि ाक्षण का अभाव होने के कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे ब्राडेड ज्वेलरी के सामने स्थानीय कारोबार प्रभावित होते है। जनपद में सर्राफा से जुड़े प्रि ाक्षण संस्थानों का भी अभाव है, जिससे कु ाल व प्रि ाक्षित कारीगरों की कमी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त विपणन व ऋण संबंधी संरचनात्मक सुविधाओं का भी अभाव है। कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते मांग कम होने से मात्र 20 फीसदी ही व्यापार रह गया है। व्यवसायियों ने लॉकडाउन के पहले त्योहार व लगन को देखते हुए अपनी पूंजी लगाकर माल भर लिया था, किन्तु कोविड–19 महामारी से व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

कारीगरों की प्रमुख समस्याएं

जनपद में कामगारों के लिए एक भी प्रि ाक्षण केन्द्र न स्थापित होने के कारण कारीगरों में नई तकनीकी जानकारी व कु ालता का अभाव है। परम्परागत औजार जैसे बंकनार आदि के प्रयोग होने के कारण कारीगरों को भवांस संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परम्परागत औजारों का अधिक प्रयोग होने के कारण कारीगरों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल रहती है। तकनीकी प्रि ाक्षण के अभाव में अधिकां ातः पु तैनी कारीगर ही तैयार हो रहे है। सर्राफा क्षेत्र में कारीगरों हेतु बीमा व अन्य जोखिम सुरक्षा सुविधाओं का भी अभाव है। कारीगरों के परिवार व बच्चों को सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं यथा आवास, पें ान आदि भी उपलब्ध नहीं है।

जनपद में सर्राफा व्यसाय के लिए सरकार से अपेक्षाएं

प्रयागराज सर्राफा मण्डल के प्रतिनिधि व्यपारियों व सर्वेक्षण के दौरान व्यवसायों से हुई वार्ता में क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों व कामगारो ने सरकार से निम्न अपेक्षाओं को सामने रखा हैः–

- सर्राफा व्यापार में जी0एस0टी0 दर वर्तमान दर से कम करना चाहिये।
- सर्राफा व्यवसायियों को बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।
- सर्राफा व्यवसायियों को कच्चा माल उचित दर पर उपलब्ध हो ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- सर्राफा बोर्ड का गठन किया जाय, जिसमें सर्राफा व्यापार मण्डल के सदस्य उस बोर्ड के सदस्य हो, जिससे सर्राफा व्यापार से संबंधित समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके।
- छोटे व्यापारियों ने मांग की कि बुलियन वायदा कारोबार बन्द किया जाना चाहिए।
- सर्राफा व्यवसायियों व प्रतिश्ठानों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिए।
- जनपद में डिजाइन, कटिंग एवं पॉलिसिंग सेन्टर स्थापित किये जाये, जिससे आभूशणों को और अधिक आकर्शक व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
- जनपद में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाए जिससे कुशल कारीगर उपलब्ध हो सके।
- सर्राफा उद्योग में प्रयुक्त औजारों व उपकरणों को अनुदानित दरों पर कारीगरों व छोटे व्यवसायियों को उपलब्ध कराया जाए।

जनपद–वाराणसी

वाराणसी का मूल नाम काशी था।पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी की स्थापना हिन्दू धर्म के भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। वाराणसी को प्रायः मन्दिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी,दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से सम्बोधित किया जाताहै।

पुराणों के अनुसार मनु की 11वीं पीढी के राजाकाश के नाम पर काशी बसा। कुछ लोग वरूणा व अस्सी के बीच के भू–भाग को वाराणसी कहते है। पुराने ग्रन्थों में काशी के पॉच नाम प्रचलित रहे–काशी, वाराणसी ,अविमुक्त, आनन्दकानन व महाश्मसान। महाभारत(वनपर्व) में पहली वार तीर्थ के रूप में काशी का उल्लेख है।

वाराणसी 18वीं शताब्दी में स्वतन्त्र काशीराज्य बना और बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रमुख व्यापारिक व धार्मिक केन्द्र रहा है।1910 में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा वाराणसी को नया भारतीय राज्य बनाया गया और राम नगर को इसका मुख्यालय बनाया गया। 1950 में यह राज्य स्वेच्छा से भारतीय गणराज्य में शामिल हो गया। यहां काशी विश्वनाथ मन्दिर, संकटमोचन मन्दिर, दशाश्वमेध घाट, सारनाथ संग्रहालय, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, धम्मेख स्तूप, ज्ञान वापी मस्जिद, रामनगर किला, दुर्गा मन्दिर, चौखण्डी स्तूप, तुलसी मानसमन्दिर, भारत माता मन्दिर, गुरूधाम मन्दिर व भारत कला भवन इत्यादि प्रमुख दर्शनीय स्थल है।

काशी प्राचीन काल से ही मलमल और रेशमी कपडों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्पकला के लिये व्यापारिक एव ंऔद्योगिक केन्द्र रहा है। वर्तमान मे वाराणसी मे विभिन्न कुटीर उद्योग कार्यरत है, जिनमें बनारसी रेशमी साडी कपडा उद्योंग, कालीन उद्योग एवं हस्त शिल्प प्रमुख है। भारतीय रेल डीजल इन्जन निर्माण हेतु डीजल रेल इन्जन कारखाना भी वाराणसी मे स्थितहैं।
काशी हिन्द ूविश्वविद्यालय मे स्थित सर सुन्दरलाल चिकित्सालय जो वर्तमान समय में लगभग एम्स की सुविधा से युक्त है, के साथ–साथ 500 स भी अधिक बडे–2 चिकित्सा केन्द्र है। इस समय काशी को एक मेडिकल हब के रूप में जाना जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में वाराणसी जनपद पूर्वाचल के अन्य जनपदों की आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित है। यहां की फेमस दवामंडी, गल्लामंडी, सब्जीमंडी, फलमंडी पूर्वाचल के लिए रामबाण है।

सर्राफा व्यवसाय का इतिहास

सर्राफा कारोबार जनपद वाराणसी का एक परम्परागत व्यवसाय है। यहां की थोक मंडी से पूरे पूर्वाचंल के साथ–साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में आभूशण सप्लाई होता है। इस जनपद में सर्राफा व्यवसाय के अन्तर्गत आभूशण निर्माण में पश्चिम बंगाल के लाखों कारीगर कार्य करते है, किन्तु कोविड–19 महामारी के कारण सर्राफा व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

सर्राफा व्यवसाय की प्रमुख समस्यायं

- पैन कार्ड की अनिवार्यता होने से छोटे ग्राहक जिन के पास पैन कार्ड नही है समस्या उत्पन्न होती है
- नकद की सीमा 50 हजार रू0 कर देने से व्यापार में समस्या आ रही है।
- सोना चॉदी के भाव अधिक होने से ग्राहक नही आ रहे है।
- इम्पोर्ट डयूटी (टैक्स) अधिक (12.5:) होने से व्यापार पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है।
- 90: खेरची ग्राहकी जो सोना चॉदी खरीदते है, बिल से माल लेना पसन्द नही करते है व्यापारी कै ा का बिल कितनी मात्रा में काटेगा।
- 50 ग्राम सोने के जेवर बनाने हेतु 6–7 हाथो से गुजरना पड़ता है जिससे सोने का नुकसान होता है। उससे हिसाब में समस्या आती है।
- कोविड़–19 से दुकाने बन्द होने से बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई।

कारीगरों की प्रमुख समस्यायें

- सर्राफा व्यवसाय में लगे कारीगर प्रतिदिन मजदूरी कर परिवार का भरण पोशण करते है, लाकडाउन के कारण आभूशण व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ा।
- आभूशण की खरीदारी न होने से आभूशण निर्माण ,पालिस ,गलाई आदि में लगे कारीगरों की आय का साधन बंद हो गया।
- सर्राफा व्यवसाय हेतु अलग से बैंक ऋण की सुविधा न होने से कारीगर कारोजगार बंद होने पर वहन या व्यवसाय नही कर पाता जिससे समस्या उत्पन्न होती है।
- सर्राफा व्यवसाय मे लगे कारीगरों की सामाजिक सुरक्षा की स्कीम न होने से कारीगर सुरक्षित नही महसूस करते है।

जनपद में सर्राफा व्यवसाय के लिए सरकार से अपेक्षाएं

- सरकार सोना चॉदी के भाव पर नियंत्रण करें।
- इम्पोर्ट डयूटी 12.5ः से कम करके चरणबद्ध ढंग से 6ः तक करें।
- छोटे ग्राहको के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करे।
- नगद की सीमा रू0 50 हजार से बढ़ाकर रू0 2 लाख किया जाएं ।.
- सोना से स्वर्ण आभूशण निर्माण करने में हुई सोना की क्षति की समस्या के बारे मे विचार करें।
- हॉल मार्क का नियम सही है किंतु जनपद में अभी केवल चौक में हॉलमार्क की दुकान/एजेन्सी है।
- छोटे व्यवसायी दूर–दराज क्षेत्र से हॉलमार्क कराने हेतु आने में सुरक्षा की समस्या है। हॉलमार्क की एजेन्सी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खोले तभी हालमार्क अनिवार्य करें।
- कोविड –19 के कारण व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पडा किन्तु न तो व्यवसायियों और न ही कारीगरों के लिए कोई लोन सुविधा है।सरकार सर्राफा लोन हेतु स्कीम भुरू करें।
- कामन फैसिलिटी सेन्टर न होने से व्यवसायियों/कारीगरों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता ,जनपद में सी0एफ0सी0 सेन्टर खोला जाय।
- अभी तक सर्राफा बोर्ड का गठन नहीं हो पाया इसे सरकार गठित करें।

अनुसन्धान विधि

प्रदेश के सर्राफा व्यवसायियों की स्थिति का आंकलन करने के उद्देश्य से प्रदेश के निम्नलिखित 10 जनपदों का चयन किया गया था–

- आगरा,
- लखनऊ,
- कानपुर नगर,
- गाजियाबाद,
- मेरठ,
- गोरखपुर,
- बलिया,
- मिर्जापुर,
- वाराणसी,
- प्रयागराज

सर्वेक्षण में प्रश्न आधारित अनुसूची पर बड़े व्यवयायियों से दो अनुसूचियां, मध्यम व छोटे व्यवसायियों से 5–5 अनुसूचियां तथा दुकानों एवं कारखानों में काम करने वाले कामगारों से 8 अनुसूचियां (एक जनपद से 20 अनुसूचियां) भरवायी गयी जिसमें व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों, उनका निराकरण तथा प्रदेश में संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। अध्ययन/सर्वेक्षण के मुख्य निश्कर्श अनुलग्नक–1 पर दिये गये हैं तथा अध्यन में प्रयोग SCDHEDULE अनुलग्नक–2 पर दिये गये हैं।

जनपदों में किए गए सर्वेक्षण में सर्राफा व्यवसायियों तथा उनके संगठन के प्रतिनिधियों से किये गये साक्षात्कार के आधार पर इस उद्योग में आने वाली समस्याओं तथा उनके समाधान का विवरण निम्नानुसार है –

सर्राफा व्यवसाय की प्रमुख समस्याएं

दक्षिण भारत, गुजराज व महाराष्ट्र जैसे राज्य आभूषणों का निर्यात करते हैं, वहां निर्यात के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा जैसे–बन्दरगाहों आदि की सुविधा है। मानक के अनुसार अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में 22 कैरेट के आभूषण ही स्वीकार्य हैं। अतः वहां 22 कैरेट के आभूषणों का निमार्ण व निर्यात किया जाता है। उत्तर भारत में कुल आभूषण निर्माण का 75 प्रतिशत घरेलू बाजार में ही खपत होता है। सस्ता होने के कारण निम्न व मध्यम वर्ग यहां 20 कैरेट आभूषणों की मांग ज्यादा करता है। नए नियमों में 20 कैरेट के गहने बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिससे इसे स्क्रैप में बदलना पड़ेगा।

जी0एस0टी0

- सर्राफा व्यवसाय में नियमों को निरन्तर कठोर करने से औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु लेखाकार आदि रखने से व्यवसाय पर अधिक आर्थिक बोझ पड रहा है।
- जी0एस0टी0 रिटर्न को प्रतिमाह दाखिल करना, बार–बार रिर्टन फाईल करने से असुविधा होती है, साथ ही वकीलों को अधिक फीस भी देनी पड़ती है।
- एक सूचना भरने के लिये बार–बार पोर्टल पर जाना पड़ता है तथा हर महीने की 20 तारीख तक उद्यमी इसी कार्य में व्यस्त रहता है जिससे उसके व्यापार पर काफी असर पड़ता है।
- जी0एस0टी0 का त्रिस्तरीय होना।
- अधिकां ा सर्राफा व्यवसायी कम पढे–लिखे है, जिससे जी0एस0टी0 भरने हेतु वकीलों/कम्प्यूटर आपरेटरों पर निर्भर होना पड़ता है।

हॉलमार्क

- सर्राफा व्यवसायी ज्वैलरी की हॉलमार्किंग की अनिवार्यता पर तो सहमत है लेकिन इसके साथ सोने की हर ज्वैलरी पर अंकित किये जाने वाले (हॉलमार्किंग यूनिक आइडेन्टीफिके ान) पर सहमत नही हैं क्योंकि गहनों को खरीदते समय ग्राहक उसमें काट–छांट भी करवाता है जिससे गहने का भार परिवर्तित हो जाता है।
- उत्तर प्रदेश में इस समय 61 हॉलमार्किंग केन्द्र हैं जो मात्र 21 जनपदों में हैं। बुन्देलखण्ड के अधिकांश जनपदों में हॉलमार्क केन्द्र नहीं हैं अथवा जहां एक या दो हॉलमार्क केन्द्र हैं वहां दूरस्थ स्थान के सर्राफा व्यवसायियों को हॉलमार्किंग हेतु प्रायः भाहर आना पड़ता है, उनके पास कीमती व अधिक मात्रा में आभूशण होने के कारण उनके जान माल का खतरा हमे ा बना रहता है।
- 02 ग्राम से ऊपर की ज्वैलरी बेचने पर खरीदने वाले ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नं0 की जानकारी भी देनी होगी, जो ग्राहकों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण विशय है।
- हॉलमार्किंग में घालमेल करने पर रिटेलर्स को भी सजा का प्रावधान किया गया है जबकि गहने बनाने वाले निर्माता तथा उसकी शुद्धता को जांचने वाले केन्द्र पर ही ऐसे घालमेल की संभावना है। रिटेलर के स्तर पर यह संभव नहीं है।

सोने का भाव

- सोने के जेवरको अन्तिम रूप में तराशने से पहले यह 6–7हाथों से गुजरता है जिसमें सोने का नुकसान होता है। उस से हिसाब में समस्या आती है।
- नगद खरीद एवं बिक्री की सीमा कम होना।

आनलाईन व्यवसाय (वर्चुअल मार्केट)

- बड़े बड़े व्यवसायी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल रणनीति पर ध्यान दे रहे हैं किन्तु छोटे व्यापारी उनसे घरेलू बाजार में ही प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं।
- ऋण सुविधा–
- सर्राफा व्यवसायियों को बैंकों से ऋण लेने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- विपणन व ऋण संबंधी संरचनात्मक सुविधाओं का भी अभाव है।

कारीगरों की समस्याएं

- कारीगरों का कहीं रजिस्ट्रे ान नही होता है और न ही उनका कोई संगठन है जिसके तहत वह अपनी समस्याएं सरकार के सामने रख सकें। कोविड–19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय भी कहीं रजिस्टर्ड न होने से उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद प्राप्त नहीं हुई।
- कामगारों की मजदूरी की कोई दर भी तय नही है व उनके पास इतनी पूंजी भी नहीं होती है कि वह अपना स्वयं का कारोबार भुरू कर सकें।
- ऋण लेने हेतु दस्तावेज भी उनके पास नहीं होते जिससे वह आसानी से ऋण ले सकें।
- वर्श पर्यन्त पर्याप्त कार्य न मिलने के कारण उनकी आय उनके जीवनयापन के लिये अपर्याप्त होती है।
- सर्राफा व्यवसाय में मूलतः कच्चे माल (सोना–चांदी) को कारीगरों द्वारा ही आभूषणों के रूप में तराशा जाता है। इस कार्य में अत्यधिक मेहनत एवं उत्कृष्ट कारीगरी का प्रयोग होता है। आभूषण बनाने के पश्चात् प्रतिफल के रूप में उन्हें अत्यन्त कम मजदूरी प्राप्त होती है।
- निर्माण में नई तकनीक व प्रि ाक्षण का अभाव होने के कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे ब्राण्डेड ज्वेलरी के सामने स्थानीय कारोबार प्रभावित होते है। जिससे कु ाल व प्रि ाक्षित कारीगरों की कमी बनी रहती है।

- बड़ी–बड़ी कम्पनियों द्वारा आभूषण बनाने हेतु मशीनों का प्रयोग किये जाने के कारण हाथ की कारीगरी कम हुई है। मशीनों द्वारा किये गये कार्य को ग्राहकों द्वारा पसंद किये जाने के कारण कारीगरों के हुनर की कीमत नहीं मिल पा रही।
- कारीगर को ई0एस0आई0, प्रोविडेन्ट फण्ड, चिकित्सा एवं अन्य लाभ न मिलना।
- अधिकतर कामगार बाहरी राज्यों से हैं जिसके कारण उनके रहन–सहन आदि पर खर्च बढ़ता है किन्तु व्यवसाय में कमी के कारण उनको कम मजदूरी प्राप्त हो रही है।
- परम्परागत औजार जैसे बंकनार आदि का प्रयोग करने के कारण कारीगरों को भवास संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परम्परागत औजारों का अधिक प्रयोग होने के कारण कारीगरों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल रहती है। तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव में अधिकांशतः पुरातनी कारीगर ही तैयार हो रहे हैं जो आधुनिक तकनीक के सामने पिछड़ जाते हैं।
- कोरोना महामारी में कारीगरों से काम छूट जाने के कारण आर्थिक स्थिति बदहाल होना।

सरकार से अपेक्षाएं

- सी0एफ0सी0 (कॉमन फेसिलिटी सेन्टर)
- प्रायः सराफा बाजार शहर के सबसे व्यस्त व घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हैं जहां मूलभूत सुविधाओं तथा पार्किंग की अत्यन्त समस्या है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होने से इन समस्याओं से तो निजात मिलेगी ही वहां एक व्यवसायिक हब की स्थापना होने से सभी तरह के आभूशणों के निर्माण एवं क्रय विक्रय सम्बन्धी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध हो सकेंगी।
- यदि सरकार इनका निर्माण कराती है तो छोटे उद्यमियों एवं कारीगरों को लागत कम होने के साथ–साथ नई तकनीक एवं समय प्रबन्धन में सहायता मिलेगी।
- सी0एफ0सी0 के अन्तर्गत गेस्ट रूम, कॉन्फ्रेन्स रूम व मीटिंग हॉल के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे– हॉलमार्क सेन्टर, टन्च रिफाइनरी, चांदी/सोने को भुद्ध करने हेतु रिफाइनरी, कच्चे माल की उपलब्धता हेतु सरकारी एजेन्सी व प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिये।
- केन्द्र में ही डिजाइन, कटिंग एवं पॉलिशिंग सेन्टर स्थापित किये जाएं जिससे आभूशणों को और अधिक आकर्शक व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
- आगरा में प्रस्तावित ज्वैलरी पार्क की स्थापना जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए।

सर्राफा बोर्ड का गठन

- सभी सर्राफा व्यवसायी व्यापार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत अपनी समस्याओं को रखते हैं। अलग से सर्राफा व्यवसायियों के लिये सर्राफा बोर्ड का गठन किया जाये जिसमें सर्राफा प्रतिनिधि ही उच्च स्तर पर चयनित हों जिसमें सर्राफा व्यवसायी अपने सारे मुद्दों को रख सके तथा उनका समाधान कर सकें।

जी0एस0टी0

- वार्षिक अथवा अर्द्धवार्षिक रिर्टन ही लिया जाए जिसमें एक या दो बार में ही सम्पूर्ण जानकारी सरकार द्वारा प्राप्त कर ली जाए।
- जी0एस0टी0 की दरें कम की जाएं। खासकर बुजुर्ग व छोटे व्यवसायी के लिए 3 प्रतिशत की जगह 1 प्रतिशत दर रखी जाए।
- रिर्टन भरने में चूक होने पर लगने वाले जुर्माने को हटाया जाए।
- ग्राहक द्वारा अपने पुराने सोने व चांदी के आभूशण परिवर्तित कर नया आभूशण लेने पर जी0एस0टी0 नहीं लगाई जाए।

प्रशिक्षण केन्द्र

- उत्तर भारत व पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव है। उत्तर प्रदेश में नोएडा में प्रशिक्षण केन्द्र है किन्तु अन्य स्थानों खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सर्राफा से जुड़े प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जाए।
- प्रदेश में मण्डलवार कम से कम एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए जहां Assaying, Hallmarking, Polishing, Cutting का प्रशिक्षण देकर व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित वर्ग तैयार किया जा सके। बारीक कामों के लिए अन्य राज्यों के कारीगरों पर निर्भरता कम होने के साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेगें।

सोने का भाव

- सोने से स्वर्ण आभूशण निर्माण करने में होने वाली की क्षति की समस्या के बारे में विचार किया जाए।
- सरकार सोना चांदी के भाव पर नियंत्रण करे। सोने की कीमतों में कमी लाते हुए पूरे राष्ट्र में सोने का एक ही भाव रखा जाए–एक राष्ट्र एक भाव।
- जैसे जैसे सोने–चांदी के रेट बढ़ते हैं उसी अनुपात में कैश लिमिट भी बढ़ायी जाए। नगद की सीमा रू0 50 हजार से बढ़ाकर रू0 2 लाख करने पर विचार किया जाए।
- छोटे ग्राहकों के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

सुरक्षा

- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हॉलमार्क केन्द्र प्राथमिकता पर खोले जाने चाहिएं जिससे कि गहने लेकर ज्यादा यात्रा न करनी पड़े तथा सामान सुरक्षित रहे।
- लूट–डकैती, फिरौती, चोरी की घटनाओं को रोकने तथा व्यवसायियों की सुरक्षा हेतु सर्राफा बाजार में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाये जाएं।

ऋण सुविधा

- छोटे व्यवसायियों को ऋण पर अतिरिक्त सब्सिडी मिलनी चाहिए ।
- स्वर्ण व्यवसाय बैंक में उच्च जोखिम वाले कारोबार में शामिल है। इसे सामान्य कारोबार की श्रेणी में लाया जाय।
- सर्राफा व्यवसायियों को ऋण कम ब्याज दरों पर आसानी से उपलब्ध कराया जाए। ब्याज दरों में छोटे व्यवसायियों को छूट दी जाए। साथ ही बैंकों द्वारा स्वाइप मशीन/कार्ड पर लगने वाले शुल्क को समाप्त किया जाए जिससे ग्राहकों को राहत मिले।

आनलाईन व्यवसाय (वर्चुअल मार्केट)

- सर्राफा बाजारों में डिजिटल केन्द्रों की स्थापना से ई–कामर्स के बारे में जागरूकता बढ़ेगी, ऐसे केन्दों पर व्यापारी को आनलाइन पंजीकरण, बिक्री, जी.एस.टी. फाइलिंग हेतु सी.ए. आदि की सुविधा उपलब्ध कराना अच्छा होगा।

कारीगरो को सुविधाएं

- सरकार के द्वारा व्यापारी की मृत्यु, बीमारी, लॉकडाउन आदि की दशा में सहायता उपलब्ध करायी जाए।
- स्वर्ण व्यवसायियों के लिए पेंशन योजना प्रारम्भ की जाए।
- सर्राफा उद्योग में प्रयुक्त औजारों व उपकरणों को अनुदानित दरों पर कारीगरों व छोटे व्यवसायियों को उपलब्ध कराया जाए।
- कोविड–19 की वजह से खासकर छोटे व्यवसायी व कामगारों के ऊपर आर्थिक बोझ अधिक पड़ा है। उनको आर्थिक सहायता पैकेज देने के साथ ही आर्थिक सहायता कोष की

स्थापना की जाए जिससे समय–समय पर सर्राफा व्यवसाय से जुड़े कामगारों व छोटे व्यवसायियों की संकट के समय सहायता की जा सके।

अन्य

- हॉलमार्क आभूशण पर 14, 18 एवं 22 कैरट पर होता है। हॉलमार्क मांग एवं आपूर्ति (ग्राहक की मांग) के अनुसार प्रत्येक कैरेट पर होना चाहिये।
- छोटे व्यापारियों ने मांग की है कि बुलियन वायदा कारोबार बन्द किया जाना चाहिए।
- जो क्षेत्र पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थापित हैं वहां हाथ व मशीन से बने आभूषणों का बाजार विकसित कर उस क्षेत्र को पर्यटन एवं व्यवसाय के साझा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- मेरठ में रत्न व आभूषण के लिए बनने वाला एस ई जेड, वाराणसी में भारतीय रत्न और आभूषण संस्थान तथा लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश लौटने वाले आभूषण कारीगरों के लिए स्थानीय रोजगार पैदा करने के लिए आगरा व लखनऊ के बीच प्रस्तावित ''ज्वैलरी पार्क'' जैसे प्रोजेक्ट प्राथमिकता पर पूर्ण किए जाने चाहिए।
- भारत में सोना प्रायः घरों में ही जमा करके रखा जाता है। ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जिससे लोग सोने को बैकों में जमा करने के लिए प्रेरित हों।
- भारत के धार्मिक स्थानों को भी दान में मिले सोने को बैंकों में जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इससे चोरी का जोखिम कम होगा और अर्थ व्यवस्था में गति आएगी।
- समय–समय पर स्थानीय स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन होना चाहिए जहां स्थानीय उद्यमी, जो बड़े–बड़े राज्यों और शहरों में प्रतिभाग नहीं कर पाते, अपने उत्पाद के लिए बाजार की संभावनाएं तलाश सकें।

अनुलग्नक –1
अध्ययन/सर्वेक्षण के मुख्य निश्कर्श

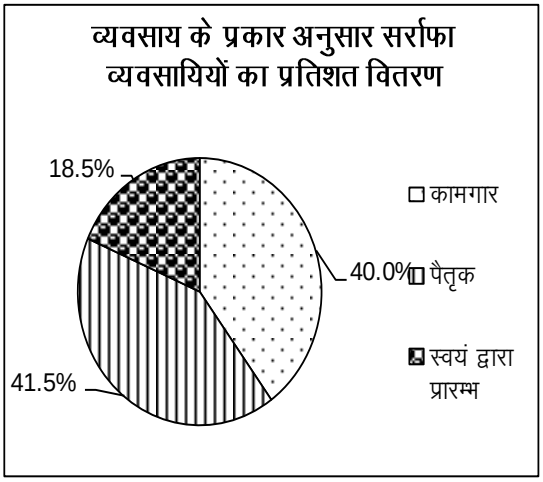

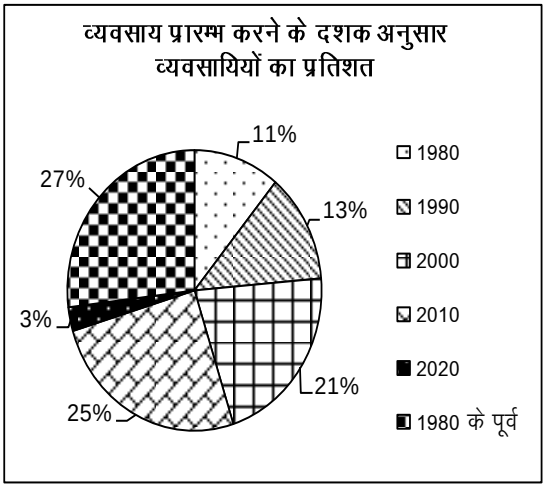

- व्यवसाय के प्रकार अनुसार सर्राफा व्यवसायियों में 41.5 प्रतिशत पैतृक, 40 प्रति ात कारीगर/कामगार तथा 18.5 प्रति ात स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने के अन्तर्गत पाये गये।
- व्यवसाय प्रारम्भ करने के दशक अनुसार व्यवसायियों का अध्ययन करने पर पाया गया कि 1980 द ाक के पूर्व में 27 प्रति ात, 1980 के द ाक में 11 प्रति ात, 1990 के द ाक में 13 प्रति ात, 2000 के द ाक में 21 प्रति ात, 2010 के द ाक में 25 प्रति ात तथा 2020 के द ाक में 3 प्रति ात सर्राफा व्यवसायियों ने व्यवसाय प्रारम्भ किया।

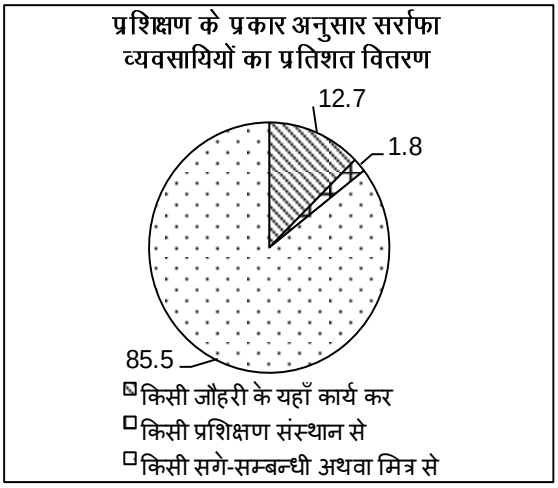

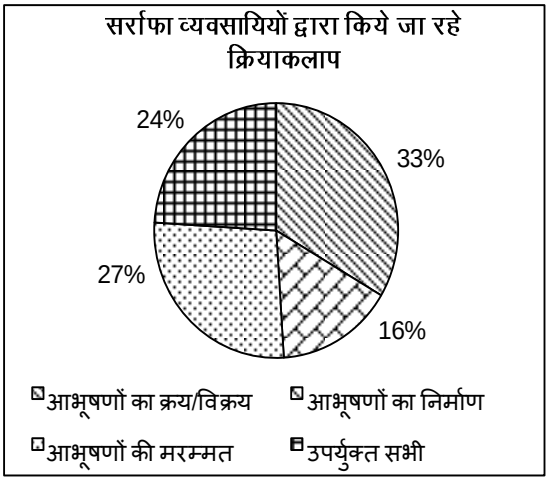

- सर्राफा व्यवसायियों में से 85.5 प्रति ात व्यवसायियों ने किसी सगे सम्बन्धी अथवा मित्र से, 12.7 प्रति ात व्यवसायियों ने किसी जौहरी के यहां कार्य कर तथा 1.8 प्रति ात व्यवसायियों ने प्र ाक्षण संस्थान से व्यवसाय सीखा।
- संस्थान का प्रकार अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त व्यवसायियों का अध्ययन करने पर पाया गया कि प्राइवेट संस्थान से 97 प्रतिशत व्यवसायियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जबकि सरकारी, अर्द्ध–सरकारी तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र से क्रमशः 1–1 प्रतिशत व्यवसायियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

- सर्राफा व्यवसायियों के द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों– यथा आभूषणों का निर्माण, आभूषणों का क्रय–विक्रय, आभूषणों की मरम्मत तथा उक्त सभी कार्य, का अध्ययन करने पर पाया गया कि सर्वाधिक 33 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायी आभूषणों का क्रय–विक्रय, 16 प्रतिशत व्यवसायी आभूषणों का निर्माण, 27 प्रतिशत व्यवसायी आभूषणों की मरम्मत तथा 24 प्रतिशत उक्त सभी कार्य कर रहे थे।
- आभूषण निर्माण हेतु कच्चा माल क्रय करने के संस्थान अनुसार पाया गया कि 97.25 प्रतिशत व्यवसायियों ने किसी उद्यमी से तथा मात्र 2.75 प्रतिशत व्यवसायियों ने सरकारी एजेन्सी से आभूषण निर्माण हेतु कच्चा माल क्रय किया।
- शत्–प्रतिशत कामगारों ने आभूषण निर्माण हेतु कच्चा माल किसी उद्यमी से क्रय किया। पैतृक व्यवसाय करने वाले 95.56 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायियों ने किसी उद्यमी से तथा 4. 44 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायियों ने सरकारी एजेन्सी से कच्चा माल क्रय किया। स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले 97.62 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायियों ने किसी उद्यमी से तथा 2. 38 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायियों ने सरकारी एजेन्सी से कच्चा माल क्रय किया।
- सर्राफा व्यवसाय में आभूषण निर्माण में प्रयुक्त औजार/मशीन मुख्यतः रोलिंग मशीन, तार–पत्ते की मशीन, कैरट मीटर, कसौटी, कैलीपर, छल्ला, नम्बर राड, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, कैंची, हथौड़ी, निहाई, प्लास, चिमटी, वैक्स इत्यादी रहे।
- सर्राफा व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (स्वयं के अतिरिक्त) का अध्ययन करने पर पाया गया कि 50 प्रति ात व्यवसायियों ने 1 से 2 कर्मचारी, 14.5 प्रतिशत व्यवसायियों ने 3–4 कर्मचारी, 7.5 प्रतिशत व्यवसायियों ने 5–6 कर्मचारी तथा 6.5 प्रतिशत व्यवसायियों ने 6 से अधिक कर्मचारी रखे थे।
- सर्राफा व्यवसायियों से जी.एस.टी. प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करने पर पाया गया कि 51 प्रतिशत व्यवसायियों को जी.एस.टी. प्रक्रिया सरल प्रतीत हुयी जबकि 24 प्रतिशत व्यवसायियों को जी.एस.टी. प्रक्रिया जटिल तथा 25 प्रतिशत व्यवसायियों ने पता नहीं बताया।
- सर्राफा व्यवसायियों ने जी.एस.टी. प्रक्रिया को सरल तथा व्यवसाय को सुगम बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये–
  1. जी.एस.टी. की दर कम की जाय,
  2. जी.एस.टी. की दर एक की जाय,
  3. प्रत्येक माह जी.एस.टी. भरे जाने की जगह प्रक्रिया को त्रैमासिक किया जाय।
  4. एक आर्टिकल पर एक स्तर पर ही जी.एस.टी. की प्रक्रिया लागू किया जाय।
  5. करन्ट अकाउन्ट के लिए भुगतान हेतु कार्ड स्वैप का चार्ज समाप्त किया जाय।
- सर्राफा व्यवसायियों का इस व्यवसाय से जीवन–यापन किये जाने के सम्बन्ध में अध्ययन करने पर पाया गया कि 79 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायियों ने इस व्यवसाय को जीवन–यापन हेतु पर्याप्त बताया जबकि 21 प्रतिशत व्यवसायियों ने इस व्यवसाय को जीवन–यापन हेतु अपर्याप्त बताया।
- पैतृक व्यवसाय करने वाले 95 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायियों ने इस व्यवसाय को जीवन–यापन हेतु पर्याप्त बताया जबकि मात्र 5 प्रतिशत व्यवसायियों ने इस व्यवसाय को जीवन–यापन हेतु अपर्याप्त बताया।
- स्वयं द्वारा व्यवसाय करने वाले 89 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायियों ने इस व्यवसाय को जीवन–यापन हेतु पर्याप्त बताया जबकि 11 प्रतिशत व्यवसायियों ने इस व्यवसाय को जीवन–यापन हेतु अपर्याप्त बताया।
- सर्राफा व्यवसाय में 47 प्रतिशत कामगारों ने इस व्यवसाय को जीवन–यापन हेतु पर्याप्त बताया जबकि 53 प्रतिशत कामगारों ने इस व्यवसाय को जीवन–यापन हेतु अपर्याप्त बताया।

- सर्राफा व्यवसाय में 89 प्रतिशत व्यवसायियों को आनलाइन आभूषण खरीदारी/बिक्री की प्रक्रिया पसन्द नहीं थी जबकि मात्र 11 प्रतिशत व्यवसायियों ने ऑनलाइन आभूषण खरीदारी/बिक्री की प्रक्रिया को पसन्द किया।
- पैतृक व्यवसाय करने वाले 90 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायियों को आनलाइन आभूषण खरीदारी/बिक्री की प्रक्रिया पसन्द नहीं थी जबकि मात्र 10 प्रतिशत व्यवसायियों ने ऑनलाइन आभूषण खरीदारी/बिक्री की प्रक्रिया को पसन्द किया।
- स्वयं द्वारा व्यवसाय करने वाले 78 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायियों को आनलाइन आभूषण खरीदारी/बिक्री की प्रक्रिया पसन्द नहीं थी, जबकि मात्र 22 प्रतिशत व्यवसायियों ने आनलाइन आभूषण खरीदारी/बिक्री की प्रक्रिया पसन्द किया।
- बड़े–बड़े शोरूम एवं कम्पनियों द्वारा निर्मित आभूषणों का परम्परागत आभूषणों से (1) कम मूल्य, (2) बेहतर डिजाइन तथा (3) बेहतर गुणवत्ता के सापेक्ष अध्ययन किया गया। 57 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायियों ने बड़े–बड़े शोरूम एवं कम्पनियों द्वारा निर्मित आभूषणों को डिजाइन के आधार पर बेहतर बताया जबकि 28 प्रतिशत व्यवसायियों ने बड़े–बड़े शोरूम एवं कम्पनियों द्वारा निर्मित आभूषणों को सभी स्तर पर बेहतर बताया।
- सर्राफा व्यवसाय में सर्वाधिक 79 प्रतिशत व्यवसायियों ने ग्राहक द्वारा नकद आभूषण खरीदारी करने पर पक्की रसीद का दिया जाना बताया, जबकि 21 प्रतिशत व्यवसायियों ने ग्राहक द्वारा नकद आभूषण खरीदारी करने पर पक्की रसीद का नहीं दिया जाना बताया।
- प्रदेश सरकार द्वारा डिजाईन, कटिंग, पॉलिशिंग सेंटर स्थापित करने से परम्परागत आभूशणों की मांग में सुधार के संदर्भ में 81.5 प्रति ात सर्राफा व्यवसायियों ने सहमति जतायी जबकि 18.5 प्रति ात व्यवसायियों ने असहमति जतायी।
- प्रदे ा सरकार द्वारा आयोजित आभूशण प्रद ानी में सर्राफा व्यवसायियों के भाग लेने के संदर्भ में पाया गया कि 25 प्रति ात सर्राफा व्यवसायी आभूशण प्रद ानी में भाग लेते हैं। पैतृक व्यवसाय करने वाले 34 प्रति ात तथा स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले 32 प्रतिशत सर्राफा व्यवसायी आभूशण प्रद ानी में भाग लेते हैं, जबकि मात्र 12.5 प्रति ात कारीगर/कामगार आभूशण प्रद ानी में भाग लेते हैं।
- प्रदे ा सरकार/ ासकीय सहायता प्राप्त हालमार्क एजेन्सी की स्थापना से सर्राफा व्यवसाय में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में 74.5 प्रति ात व्यवसायियों ने लाभ होने की संभावना व्यक्त की जबकि 25.5 प्रति ात व्यवसायियों द्वारा कोई लाभ नहीं होगा बताया गया। 92 प्रतिशत पैतृक व्यवसाय करने वाले तथा 68 प्रतिशत स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले सर्राफा व्यवसायियों ने एजेन्सी स्थापित करने से आभूशणों की मांग में सुधार/लाभ होने में सहमति जतायी।
- सर्राफा एसोसिए ान की सदस्यता के अन्तर्गत 67 प्रति ात सर्राफा व्यवसायी ने सर्राफा एसोसिए ान की सदस्यता ग्रहण की थी। पैतृक तथा स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले सर्राफा व्यवसायियों में से क्रम ाः 90 तथा 81 प्रतिशत व्यवसायियों ने सर्राफा एसोसिए ान की सदस्यता ग्रहण की थी। जबकि कामगारो/कारीगारों मे यह प्रति ातता 36 प्रति ात थी।
- सर्राफा एसोसिए ान द्वारा अपने सदस्यों को किसी प्रकार के सहयोग प्रदान करने के सन्दर्भ में 83 प्रति ात सदस्यों द्वारा बताया गया कि एसोसिए ान द्वारा अपने सदस्यों को मात्र सामाजिक सहयोग प्रदान किया गया जबकि 17 प्रति ात सदस्यों ने सामाजिक तथा आर्थिक दोनों तरह से सहयोग प्रदान करना बताया। इस संदर्भ में पैतृक, स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले सर्राफा व्यवसायियों तथा कामगारो/कारीगारों की प्रति ातता लगभग समान पायी गयी।
- विगत पांच वर्शों में आभूशण व्यवसाय में वृद्धि के संबंध में मात्र 1 प्रति ात व्यवसायियों ने व्यवसाय में अत्यधिक वृद्धि होना बताया, जबकि 24.5 प्रति ात व्यवसायियों ने व्यवसाय में

सामान्य वृद्धि तथा 18.5 प्रति ात व्यवसायियों ने व्यवसाय के लगभग यथावत रहने की बात कही। इसी संदर्भ में 56 प्रति ात व्यवसायियों/कामगारों ने व्यवसाय में कमी होना बताया। पैतृक तथा स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले सर्राफा व्यवसायियों में से क्रम ाः 48 तथा 59 प्रतिशत व्यवसायियों ने व्यवसाय में सामान्य वृद्धि या उसके लगभग यथावत रहने की बात कही। विगत पांच वर्शों में आभूशण व्यवसाय में कमी होने की बात पैतृक, स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले सर्राफा व्यवसायियों तथा कामगारों/कारीगारों में से क्रम ाः 51, 38 तथा 70 प्रति ात के द्वारा कही गयी।

- कोविड–19 महामारी के दौरान व्यवसाय तथा व्यापारियों/कामगारों के जीवन–यापन के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में 94.5 प्रति ात व्यवसायियों ने व्यवसाय तथा जीवन–यापन के स्तर में कमी होना बताया, जबकि 5.5 प्रति ात व्यवसायियों ने इसे यथावत रहना बताया। कामगारों/कारीगारों में जहां 98.75 प्रति ात लोगों ने व्यवसाय तथा जीवन–यापन के स्तर में कमी होना बताया, वहीं पैतृक, स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले सर्राफा व्यवसायियों में यह प्रति ातता लगभग 92 प्रति ात रही।
- सर्राफा व्यवसाय हेतु सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन/ऋण योजना चलाये जाने के संदर्भ में 95.5 प्रति ात सर्राफा व्यवसायियों/कामगारों ने किसी भी योजना की जानकारी होने को नकार दिया जबकि 4.5 प्रति ात व्यवसायियों ने इसे स्वीकार किया। पैतृक तथा स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले सर्राफा व्यवसायियों में यह प्रति ातता क्रम ाः 94 तथा 92 प्रति ात रही। वहीं लगभग भात्–प्रति ात (98.75 प्रतिशत) कामगारों/कारीगरों ने किसी भी योजना के होने को नकार दिया।

  पैतृक, स्वयं द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले सर्राफा व्यवसायियों में से क्रम ाः 6 तथा 8 प्रति ात व्यवसायियों ने एम.एस.एम.ई. योजना के तहत ऋण लाभ लिया जाना बताया गया। अधिकां ा व्यवसायियों द्वारा ऋण योजना की प्रक्रिया का जटिल होना बताया जो कामगारों/कारीगरों द्वारा योजना से लाभ न ले पाना भी उनके व्यवसाय तथा जीवन–यापन के स्तर को अच्छा न करने का कारण रहा।

अनुलग्नक–2

Schedule

सर्राफा व्यवसायी का नामः
मुहल्लाः
जनपदः
मोबाइल न0ः

1. **क्या आप इस व्यसाय में पैत्रिक है या स्वयं के द्वारा प्रारम्भ किया गया है।**
   1–पैत्रिक 2– स्वयं द्वारा प्रारम्भ

2. **यदि व्यवसाय स्वयं द्वारा प्रारम्भ किया गया तो व्यवसाय प्रारम्भ करने का दशक**
   1–1980 के पूर्व 2–1980 3–1990 4–2000 5–2020

3. **यदि व्यवसाय स्वयं द्वारा प्रारम्भ किया गया तो व्यवसाय कहाँ से सीखा गया है।**
   1–किसी जौहरी के यहाँ कार्य कर 2– किसी सगे सम्बन्धी से
   3–किसी प्रशिक्षण संस्थान से

4. **क्या आपने इस व्यवसाय में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।**
   1– तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त 2– तकनीकी प्रशिक्षण नहीं प्राप्त

5. **क्या आपके द्वारा ग्राहकों के लिये आभूषण बनाया जाता है या बजार से खरीदतें है।**
   1– आभूषण का निर्माण किया जाता है 2– आभूषण का क्रय करके बेंचा जाता है

6. **आभूषण बनाने के लिये कच्चा माल सरकारी एजेन्सी या किसी उद्यमी से खरीदतें हैं।**
   1– सरकारी एजेन्सी 2– किसी उद्यमी से

7. **दुकान में कितने वर्कर कार्यरत हैं–**
   1– 1–2 वर्कर 2– 2–4 वर्कर 3– 4–6 वर्कर
   4– 6 से अधिक वर्कर

8. **कार्यरत वर्कर को प्रतिमाह कितनी मजदूरी आपके द्वारा प्रदान की जाती है।**
   1– 1 से 5 हजार 2– 5 से 10 हजार 3– 10 हजार से अधिक

9. **क्या आपको व्यवसाय में जी0एस0टी0 टैक्स प्रक्रिया सरल प्रतीत होती है या जटिल प्रतीत होती है।**
   1– सरल 2– जटिल

10. **यदि जटिल है तो यदि कोई सुझाव हो तो अवगत कराये–**

11. **क्या आपको इस व्यवसाय से जीवन यापन हो जा रहा है या नही यदि नही तो भविष्य में जीवन यापन की क्या योजना है।**
    1– व्यवसाय पर्याप्त है 2– व्यवसाय अपर्याप्त है भविष्य अन्य व्यवसाय प्रारम्भ करना चाहते है

12. **क्या आप द्वारा ऑनलाईन आभूषण खरीदारी/बिक्री प्रक्रिया पसंद करते है या नही।**
    1– हाँ 2– नही

13– क्या बड़े–बड़े शोरूम एवं कम्पनियों द्वारा निर्मित आभूषण किस प्रकार परम्परागत आभूषण को प्रतिस्पर्धा दे रहे–

1– परम्परागत आभूषण से कम मूल्य 2– डिजाईन परम्परागत आभूषण से बेहतर
3– आभूषण की गुणवता बेहतर

व्यापारी की संक्षिप्त टिपण्णी:

14. क्या आप लोग गाहक द्वारा नगद आभूषण खरीदारी की पक्की रसीद देते है या नहीं।

1– हाँ 2– नही

15. क्या प्रदेश सरकार द्वारा डिजाईन कटिंग, पॉलिशिंग सेंटर स्थापित करने से परम्परागत आभूषण की मांग में सुधार होगा–

1– आभूषण की गुणवत्ता, डिजाईन व मांग में सुधार होगा
2– सेंटर की स्थापना से कोई फायदा नही होगा

16. क्या प्रदेश सरकार/शासकीय सहायता प्राप्त हॉलमार्क एजेंसी के स्थापना से आपके व्यवसाय में आसानी होगी–

1– कोई फायदा नही होगा 2– सामान्य लाभ मिलेगा 3– अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा

17. क्या आप अपने सर्राफा एसोसिएशन से जुड़े है या नही।

1– सदस्य है 2– सदस्य नही है

18. यदि हाँ तो संगठन आपको किसी प्रकार का सहयोग प्रदान करता है अथवा नही।

1–संगठन केवल सामाजिक सहयोग प्रदान करता है 2– संगठन केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करता है
3–आर्थिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के सहयोग प्रदान करता है

19. आभूषण व्यवसाय में विगत पांच वर्षो में वृद्धि हुई है या नही।

1– कोई वृद्धि नही हुई है 2– सामान्य वृद्धि हुई है 3– अत्यधिक वृद्धि हुई है

20. प्राकृतिक माहमारी (कोविड–19) के दौरान आपके व्यवसाय व जीवन यापन पर क्या प्रभाव पड़ा।

1– व्यवसाय में कमी हुई है 2– कोई कमी नही है 3– वृद्धि हुई

21. क्या आपको सरकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा है सुविधाए प्रदान की जाती है।

1– प्रदान की जाती है 2– प्रदान नही की जाती है

22. क्या आपके व्यवसाय में सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन योजना/ऋण योजना चलायी चलाई जा रही है या नहीं।

1– संचालित की जा रही है 2– कोई योजना संचालित नही है
यदि हाँ तो क्या–क्या सुविधाए प्राप्त हो रही है– स्पष्ट टिप्पणी–

23. आपको सरकार से क्या अपेक्षा है–